ग्राम पंचायत अघार, विकास खण्ड नूरपुर, ज़िला काँगड़ा, हि०प्र० – 176051
के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग-एक

1. **प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत अघार, विकास खण्ड नूरपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती ममता देवी	01/04/2022 से 31/03/2024

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री हरसिमरन सिंह	01/04/2022 से 31/03/2024

तकनीकी सहायक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री कृष्ण कुमार	01/04/2022 से 22/04/2023
2.	श्री बलवान सिंह	23/04/2023 से 31/03/2024

ग्राम रोजगार सेवक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री सुभाष चंद	01/04/2022 से 01/07/2023
2.	श्री यशपाल	02/07/2023 से 31/03/2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत अघार के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1.	4.1	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में अत्यधिक अन्तर पाया जाना	**0.46**
2.	4.4	14वां वित्त आयोग रोकड़ बही में अनुचित/असमर्थित/फर्जी प्रविष्टि पाया जाना	**2.98**
3.	6.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	**5.61**
4.	7.1	पंचायत राजस्व संपत्ति कर/गृहकर वसूली हेतु शेष पाया जाना	**1.19**
5.	8.1	खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अनियमित भुगतान का पाया जाना	**8.26**
6.	8.2	बजरी एवं पत्थर के क्रय हेतु भुगतान से पूर्व रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण	**0.36**

		अधिक/अनियमित भुगतान का पाया जाना	
7.	8.3	सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण अधिक/अनियमित भुगतान का पाया जाना	**0.23**
8.	8.4	अग्रिम राशि का समायोजन हेतु शेष पाया जाना	**4.30**
9.	8.5	मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	**4.30**
10.	8.6	पेवर ब्लॉक का अनियमित क्रय करना	**5.73**
11.	8.7	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	**9.94**
12.	8.8	स्थायी व अस्थायी भण्डार का भंडारण पुस्तिकाओं में इन्द्राज न पाया जाना	**19.96**
13.	8.9	15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत निष्पादित विकास कार्यों से संबंधित वांछित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना	**7.92**
14.	9.1	मनरेगा के अन्तर्गत व्यय राशि से संबंधित वांछित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना	**8.97**
15.	9.2	मनरेगा के तहत व्यक्तिगत कार्यों में मजदूरी सामग्री अनुपात (60:40) के उल्लंघन करने के कारण आपूर्तिकर्ता को अतिरिक्त/ अनियमित भुगतान करना	**0.21**
16.	9.3	मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्यों के मस्टर रोलों को जारी करने के रजिस्टर में प्रविष्टि न करना	**2.40**
17.	10.1	विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति न करने के कारण राजकीय कोष को राजस्व हानि	**0.01**
18.	10.2	विवाह पंजीकरण शुल्क से प्राप्त राशि को हि० प्र० राजकीय कोष में जमा न करने से राजस्व की हानि	**0.05**

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत अघार, विकास खण्ड नूरपुर, ज़िला काँगड़ा के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री दीपक सिंह पठानिया, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 20.12.2024 से 01.01.2025 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2022-23	10/2022	05/2022
2023-24	05/2023	06/2023

<u>अस्वीकरण (Disclaimer):</u> - ***इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।***

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹5600/-** आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला - 171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 15/2024/अघार दिनांक 01.01.2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 18 दिनांक 01.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र ही शुल्क की अदायगी कर दी जाएगी।

4. **वित्तीय स्थिति**:-

(क) पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 35/2024 दिनांक 20.12.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट - "क"** और **"ख"** में दिया गया है:-

1. स्वः स्त्रोत:-

अवधि	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹) (कालम 2+3)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹) (कालम 4-5)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2022-23	345416.00	538763.00	884179.00	640109.00	244070.00
2023-24	244070.00	95436.00	339506.00	123358.00	216148.00

2. अनुदान:-

अवधि	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹) (कालम 2+3)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹) (कालम 4-5)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2022-23	1806304.35	4271409.00	6077713.35	4224526.00	1853187.35
2023-24	1853187.35	1931886.00	3785073.35	3224533.00	560540.35

कुल योग (1+2) = 216148.00+ 560540.35 = **776688.35**

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

दिनांक 31.03.2024 को ग्राम पंचायत की रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति अनुसार शेष **₹7,76,688.35** तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष **₹ 8,22,770.15 (परिशिष्ट - "ग")** से सम्बन्धित विवरणी निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक अंत शेष 31.03.24 को
1.	सभा निधि (OWN SOURCE), 5वां राज्य वित्तायोग (5TH SFC), विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.), क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP), राज्य आपदा राहत कोश (SDRF), स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	के०सी०सी०बी० गनोह	20030006542	₹ 3,43,998.98
2.	विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.)	के०सी०सी०बी० गनोह	50051936322	₹ 185.00
3.	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (M.P.L.A.D.S.)	के०सी०सी०बी० गनोह	50051936399	₹ 8,158.00
4.	राजीव आवास योजना/ अटल आवास योजना (RAYEAAY)	के०सी०सी०बी० गनोह	50056986823	₹ 1,779.00
5.	13वाँ वित्तायोग (13TH FC)	के०सी०सी०बी० गनोह	50051936344	₹ 16,359.00
6.	14वाँ वित्तायोग (14TH FC)	HDFC जसूर	50100170080070	₹ 1,01,950.87
7.	15वाँ वित्तायोग (15TH FC)	HDFC जसूर	50100358005567	₹ 3,49,883.30
	हस्तगत नकद शेष (Own Source)			₹ 20.00
	बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का कुल योग :-			₹ 8,22,770.15
	दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-			
	पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-			**₹ 8,22,770.15**
	रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति/पैरा4(क) के अनुसार अन्तशेष :-			**₹ 7,76,688.35**
	अंतर :-			**₹ 46,081.80**

नोट :- अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

4.1 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में राशि ₹0.46 लाख का अत्यधिक अन्तर बारे:-

रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश

पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों को रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31.03.2024 को उपरोक्त पैरा 4(ख) के अनुसार **₹46,081.80** की राशि का अन्तर पाया गया जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 02/2024/अघार दिनांक 21.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 05 दिनांक 23.12.2024 द्वारा उत्तर दिया गया कि इस संदर्भ में त्रुटि को स्वीकार करते हुये बताया जाता है कि रोकड़ बहियों का बैंक से मिलान कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर तथ्य रहित होने एवं नियम प्रावधानों के प्रतिकूल होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में भी नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

4.2 योजनावार पृथक बैंक खाते न खोलना: -

निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए.(5)सी(15)-13(एल)5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार पंचायतों द्वारा PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) के कार्यान्वयन हेतु योजनावार अलग-अलग बैंक खाता खोलने के संबंध में जारी किए गए विभिन्न निर्देशों और दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पंचायतों को सहायता अनुदान/निधि जारी करने से संबंधित स्वीकृति पत्र में PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) की आवश्यकता के अनुसार अनुदान के लेखा शीर्ष को दर्शाया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित निधियों के आय व्यय हेतु योजना वार अलग-अलग बैंक खाता नहीं खोले गये है जोकि अनियमित है व जिस बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

क्र०सं०	शीर्ष	बैंक	खाता सं०
1	सभा निधि (OWN SOURCE), 5वां राज्य वित्तायोग (5TH SFC), विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.), क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP), राज्य आपदा राहत कोश (SDRF), स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	के०सी०सी०बी० गनोह	20030006542
2	विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.)	के०सी०सी०बी० गनोह	50051936322

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा बैंक खातों का संचालन वर्णित नियमों एवं निर्देशों के विरुद्ध है जिस कारण सभा निधि (OWN SOURCE), 5वां राज्य वित्तायोग (5TH SFC), विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.), क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP), राज्य आपदा राहत कोश (SDRF) एवं स्वच्छ भारत मिशन (SBM) अनुदानों के आरंभिक शेष व अंत शेष की पुष्टि नहीं की जा सकी। यह पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01/2024/अघार दिनांक 21.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 04 दिनांक 23.12.2024 द्वारा त्रुटि को स्वीकार करते हुये बताया गया कि भविष्य में नियमानुसार योजना वार अलग-अलग बैंक खाते खोलकर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये व सभा निधि (OWN SOURCE), 5वां राज्य वित्तायोग (5TH SFC), विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.), क्षेत्रीय

विकेंद्रीकृत योजना (SDP), राज्य आपदा राहत कोश (SDRF) एवं स्वच्छ भारत मिशन (SBM) अनुदानों का पृथक बैंक खाता खुलवा कर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3 PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) पर नियमानुसार रोकड़ बहियों का संधारण एवं लेखांकन न करने: -

निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए.(5)सी(15)-13(एल)5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार पंचायतों द्वारा ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज(PRIASoft) लेखा प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु योजना वार अलग-अलग बैंक खाता खोलने के संबंध में जारी विभिन्न दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पंचायतों को सहायता अनुदान/निधि जारी करने से संबंधित स्वीकृति पत्र में ई ग्राम स्वराज(PRIASoft) की आवश्यकता के अनुसार अनुदान के लेखा शीर्ष को दर्शाया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की सभा निधि रोकड़ बही में अनुदान 5वां राज्य वित्तायोग (5TH SFC), विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.), क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP), राज्य आपदा राहत कोश (SDRF) और स्वच्छ भारत मिशन (SBM) से प्राप्त निधियों के आय व्यय का भी लेखांकन किया जा रहा है जोकि अनियमित है, जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में ई-ग्राम स्वराज) पर रोकड़ बहियों के संचालन बारे जारी दिशा निर्देशों की पूर्णतः पालना नहीं की जा रही है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 03/2024/अघार दिनांक 21.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 06 दिनांक 23.12.2024 द्वारा त्रुटि को स्वीकार करते हुये बताया कि भविष्य में नियमानुसार रोकड़ बहियों का संधारण एवं लेखांकन कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।।

अत: अंकेक्षण को दिए आश्वासन अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाये एवं कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.4 14वां वित्त आयोग रोकड़ बही में राशि ₹2.98 लाख की अनुचित/असमर्थित/फर्जी प्रविष्टि पाया जाना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 के अनुसार ग्राम पंचायत खाता से प्रत्येक आहरण, प्राप्ति की ओर तथा निक्षेप संवितरण की ओर रोकड़ बही में शीघ्रता: प्रविष्टि किया जाएगा व उक्त खातों की पासबुक(कें) बनाई रखी जाएंगी।

अंकेक्षण के दौरान 14वां वित्त आयोग (14th FC) रोकड़ बही के अवलोकन पर पाया गया कि रोकड़ बही में राशि **₹2,97,638.00** की भुगतान प्रविष्टि दर्ज की गई थी जिसका विवरण निम्न तालिका अनुसार है जिसके समर्थन में कोई बिल/ अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया व बैंक पास बुक से मिलान करने पर भी इस प्रकार का कोई लेन देन नहीं पाया गया है, जिस कारण उक्त प्रविष्टियाँ अनुचित/असमर्थित प्रतीत होती हैं।

क्र०सं०	**दिनांक**	**वाउचर सं०**	**रोकड़ बही अनुसार भुगतान का विवरण**	**राशि**
01	07.03.2023	FFC/2022-23/P/1	Fake entry for zero balance because pass book zero amount	**2,97,638.00**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/अघार दिनांक 23.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 10 दिनांक 24.12.2024 द्वारा अंकेक्षण को त्रुटि स्वीकार करते हुये बताया कि केवल रोकड़ बही का बैंक से मिलान करने हेतु उक्त प्रविष्टि रोकड़ बही में दर्ज की गई थी जबकि वास्तव में उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया है। प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है।

अतः इस अनियमितता बारे विभागीय स्तर पर 14वां वित्त आयोग (14thFC) रोकड़ बही की विस्तृत जांच की जाये व तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा अनुचित एवं असमर्थित

प्रविष्टि सम्बन्धी राशि की उचित स्रोत से वसूली कर कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

5. निवेश

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष स्व-स्त्रोत में कृत व्यय की तुलना में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 04/2024/अघार दिनांक 21.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 07 दिनांक 23.12.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में निवेश नहीं किया गया था। भविष्य में नियमानुसार सावधि निवेश कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत भविष्य में नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान

6.1 अनुदान राशि ₹5.61 लाख का अवरोधन

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **9** के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 35/2024 दिनांक 20.12.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट - " क "** व **परिशिष्ट - " ख "** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **₹ 5,60,540.35** की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 04/2024/अघार दिनांक 21.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 07 दिनांक 23.12.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **79**(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त सचिव, पंचायती राज विभाग हि०प्र० के पत्र सं० पी०सी० एच०-एच०, ए० (5)(सी)(15)313/88-4614-478 दिनांक 25.04.2007 के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों को सम्बन्धित

खण्ड विकास अधिकारी व अन्य स्वीकृत एजेन्सी से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की गई राशियों के स्वीकृति पत्र उपलब्ध करवायेगा ताकि अंकेक्षण के समय सुनिश्चित कर सके कि धन राशि सम्बन्धित स्कीम पर ही खर्च की जा रही है।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त अनुदानों के आदेश/ स्वीकृति पत्र अंकेक्षण हेतु उपलब्ध नहीं करवाये। लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता | अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे एवं प्राप्त धन राशि सम्बन्धित स्कीम पर ही खर्च की जा रही थी अथवा नहीं ?

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 04/2024/अघार दिनांक 21.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 07 दिनांक 23.12.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि अनुदानों के आदेश व स्वीकृति पत्र विकास खण्ड कार्यालय से प्राप्त नहीं हुए है जिन्हें भविष्य में प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा ।

अत: इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए एवं अंकेक्षण को दिए आश्वासनानुसार उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.3 अनुदान रजिस्टर का रख-रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **61 (1)** के अंतर्गत उल्लेखित फार्म 21 के अनुसार अनुदान रजिस्टर का संधारण किया जाना अपेक्षित है एवं नियम **79(2)** के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था जिसके अभाव में प्रस्तुत अनुदानों की वित्तीय स्थिति का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 04/2024/अघार दिनांक 21.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 07 दिनांक 23.12.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि अनुदान रजिस्टर असंधारित है एवं भविष्य में अनुदान रजिस्टर को संधारित कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः भविष्य में नियमों के अनुसार रजिस्टर तैयार एवं अद्यतन (***Update)*** करके समस्त प्राप्त अनुदान व अनुदान राशि से किये गये व्यय का लेखांकन अनुदान रजिस्टर में करने उपरांत अंकेक्षण सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

7. पंचायत राजस्व

7.1 पंचायत राजस्व संपत्ति कर/गृहकर राशि ₹1.19 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **34(2)** के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संपत्ति कर / गृहकर मांग व संग्रहण पंजिका असंधारित थी। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/अघार दिनांक 23.12.2024 की अनुपालना में पत्र क्रमांक 08 दिनांक 24.12.2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹30/- प्रति परिवार व वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹50/- प्रति परिवार प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि **₹1,19,400.00** के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.24 को शेष थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - " घ "** पर संलग्न है, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित वसूली हेतु गम्भीर नहीं है। संपत्ति कर/गृहकर से संबंधित मांग व संग्रहण पंजिका असंधारित होने के कारण लम्बित गृह कर तथा वसूली का पूर्ण पता नहीं लगाया जा सका। संपत्ति कर/गृहकर की नियमित वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 14/2024/अघार दिनांक 31.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17 दिनांक 01.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि गृहकर की शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः इतना अधिक पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया पंचायत राजस्व राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार संपत्ति कर / गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका को संधारित कर प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. व्यय

8.1 खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण राशि ₹8.26 लाख के अनियमित भुगतान बारे: -

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81 ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा। इसके अतिरिक्त निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, हि॰प्र॰ के पत्र क्रमांक XEN-(RD&PR)-DB-GENERAL/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 व XEN-(RD&PR)-Royalty/2011-Vol-1-10247-10393 दिनांक 24.07.2024 द्वारा भी समय-समय पर निर्देश जारी किए गये कि खनन सामग्री क्रय हेतु भुगतान केवल संबंधित ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित करने उपरांत ही किया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान बिल/वाउचरों के नमूना अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गई थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान से पूर्व आपूर्तिकर्ता से उक्त ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना एवं निर्देशों की अनदेखी के परिणामस्वरूप **परिशिष्ट - " ङ "** पर संलग्न विवरणानुसार राशि **₹8,26,308.80** का आपूर्तिकर्ता को अनियमित भुगतान किया गया था। ट्रांजिट पास उपलब्ध न होने के कारण क्रय खनन सामग्री के आपूर्ति स्त्रोत की वैधता की पुष्टि नहीं की जा सकी जिस कारण अवैध खनन स्त्रोत से आपूर्ति की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2024/अघार दिनांक 24.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 13 दिनांक 30.12.2024 द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में निर्माण कार्यों पर प्रयोग की गई सामग्री (रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि) के बिलों के समर्थन में ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं की गई और भुगतान किया गया। ग्राम पंचायत इस त्रुटि को स्वीकार करती है व आपूर्तिकर्ता से ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत कर दिये जाएंगे। प्रस्तुत प्रत्युत्तर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः राशि **₹8,26,308.80** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस संबंध में संबंधित जिला खनन अधिकारी से संपर्क/पत्राचार कर तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों का अवलोकन किया गया है। शेष अंकेक्षण अवधि में हुए ऐसे समस्त भुगतानों की कार्यालय स्तर पर समुचित गणना कर उच्च अधिकारियों की सत्यापना उपरांत वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि

भविष्य में खनन सामग्री के क्रय के दौरान बिलों के साथ वैध ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित की जाये व तदुपरांत ही आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जाये।

8.2 बजरी एवं पत्थर के क्रय हेतु भुगतान से पूर्व रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण राशि ₹0.36 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारे: -

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (HPPWD) की स्पेसिफिकेशन के पैरा क्रम (2.1.2.13) में बजरी (Aggregate) एवं पत्थरों (Stone/Boulders) के आकार अनुसार आपूर्ति के दौरान रिक्तियों (Voids) की कटौती 5%, 10% एवं 12.5% की दर से करना निर्धारित है।

अंकेक्षण के दौरान बिल/वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से पत्थरों की खरीद करने हेतु नियमानुसार आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने से पूर्व रिक्तियों की कटौती नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना एवं अनदेखी के परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को रिक्तियों की कटौती किए बिना कुल राशि **₹5,30,370.80** का भुगतान किया गया जिस पर राशि **₹35,716.68** का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "च"** में दिया गया है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2024/अघार दिनांक 24.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 14 दिनांक 30.12.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में भुगतान के समय आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार रिक्तियों (Voids) की कटौती नहीं की गई थी जिस कारण आपूर्तिकर्ता को अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा त्रुटि को स्वीकार करने के अतिरिक्त भुगतान की गई राशि की वसूली आपूर्तिकर्ता से करके अंकेक्षण को अवगत करवा देगी। प्रस्तुत प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है और यह एक अनुचित प्रक्रिया है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार रिक्तियों की कटौती किए बिना आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचरों के प्रति किए गये भुगतान की नियमानुसार तथ्यपूर्ण

वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा कटौती योग्य रिक्तियों की अपेक्षित राशि की वसूली आपूर्तिकर्ताओं से की जाए। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों का अंकेक्षण किया गया है। शेष अंकेक्षण अवधि में हुए ऐसे समस्त भुगतानों की कार्यालय स्तर पर समुचित गणना कर उच्च अधिकारियों की सत्यापना उपरांत वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में भी भुगतान से पूर्व रिक्तियों की कटौती से संबंधित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये व तदुपरांत ही आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जाये।

8.3 सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण राशि ₹0.23 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारे:-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि०प्र० आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part (278/25)-29056 दिनांक 29.09.2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था/स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local Authority/Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में एकल अनुबंध के अन्तर्गत ₹2,50,000.00 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1%CGST + 1%SGST – अंतर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% IGST – अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती संबंधित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले संबंधित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान वित्त वर्ष 2022-23 के व्यय हेतु चयनित माह 05/2022 के बिल/वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान के समय आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना एवं अनदेखी के परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु अंकेक्षण अवधि के चयनित माह के दौरान कुल राशि

₹11,33,280.00 का भुगतान किया गया जिस पर नियमानुसार आपूर्तिकर्ताओं से जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में भुगतान की गई राशि का 2% की दर से राशि **₹22,666.00** की कटौती नहीं की गई थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " छ "** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2024/अघार दिनांक 30.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 15 दिनांक 31.12.2024 द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में भुगतान के समय आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती नहीं की गई थी जिस कारण आपूर्तिकर्ता को अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया है। ग्राम पंचायत इस त्रुटि को स्वीकार करती है। अतः अतिरिक्त भुगतान की गई राशि की वसूली आपूर्तिकर्ता से करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा । प्रस्तुत प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है और यह एक अनुचित प्रक्रिया है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती किए बिना आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचरों के प्रति किए गये भुगतान को नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अंकेक्षण के दिए आश्वासनानुसार कटौती योग्य जी.एस.टी. टी.डी.एस. की अपेक्षित राशि की वसूली आपूर्तिकर्ताओं से करने उपरांत सम्पूर्ण राशि संबंधित विभाग में जमा करवाई जाए और भविष्य में भी भुगतान से पूर्व जी.एस.टी. टी.डी.एस. से संबंधित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये व तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

8.4 अग्रिम राशि ₹4.30 लाख का समायोजन हेतु शेष पाया जाना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 30 के अनुसार पंचायत द्वारा फार्म-9 में अस्थायी अग्रिमों का रजिस्टर तैयार करना तथा किए गये अग्रिमों का वित्तीय वर्ष के अंत तक समायोजन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान अस्थायी अग्रिमों के रजिस्टर को प्रस्तुत नहीं किया गया और चयनित माह 05/2022 व 06/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नूरपुर को सीमेंट के क्रय हेतु राशि **₹4,29,441.65** का अग्रिम प्रदान किया गया था, परंतु दिनांक 31.03.2024 तक उक्त राशि का समायोजन नहीं हुआ था, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट " ज "** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 14/2024/अघार दिनांक 31.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17 दिनांक 01.01.2025 द्वारा बताया गया कि अग्रिम राशि का समायोजन शीघ्र कर लिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः अस्थायी अग्रिमों के रजिस्टर को संधारित कर हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नूरपुर को की गई अग्रिम भुगतान राशि का समायोजन करना सुनिश्चित करके सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.5 राशि ₹4.30 लाख के मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम 79(2) अनुसार पंचायत सचिव संपरीक्षा के संचालन के लिए, संपरीक्षक(कों) सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा और सभी अभिलेखों विवरणीयों और लेखों के रजिस्टर/ अभिलेख संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए तैयार रखेगा।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 05/2022 व 06/2023 के व्यय वाउचरों के अवलोकन में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा सीमेंट के क्रय से संबंधित मूल बिल (Original Bill) प्रस्तुत नहीं किए गये। अंकेक्षण में प्रस्तुत हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नूरपुर के Delivery/Transfer Challan के आधार पर **परिशिष्ट " ज "** पर संलग्न विवरणानुसार राशि **₹4,29,441.65** का भुगतान हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नूरपुर को सीमेंट के क्रय हेतु किया गया जिसके बदले में

समय-समय पर ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों में प्रयोग हेतु सीमेंट लिया गया था। उक्त भुगतान एवं प्राप्त सीमेंट की मात्रा से संबंधित मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने के कारण सीमेंट की स्टॉक प्रविष्टियों एवं खपत की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 14/2024/अघार दिनांक 31.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17 दिनांक 01.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नूरपुर से मूल बिल (Original Bill) प्राप्त कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः उक्त मामले को उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता है कि Delivery/Transfer Challan के आधार पर की गई अग्रिम भुगतान राशि की जांच पड़ताल कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाये एवं संबंधित विभाग से संपर्क/पत्राचार कर मूल बिल (Original Bill) प्राप्त कर स्टॉक रजिस्टर का अद्यतन करने उपरांत नियमानुसार अग्रिम समायोजन लेखों सहित कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में सीमेंट के क्रय हेतु अग्रिम भुगतान केवल दार्शनिक बिल (Proforma Bill) प्राप्ति के उपरांत ही किया जाये।

8.6 ग्राम पंचायत द्वारा राशि ₹5.73 लाख के पेवर ब्लॉक का अनियमित क्रय करने बारे:

पंचायती राज विभाग, हि०प्र० की अधिसूचना पृष्ठांकन संख्या ***RDD-XEN/2018-e-Tendring-4152-648*** दिनांक ***17*** जुलाई, ***2018*** के अनुसार पंचायती राज विभाग सामग्री, सेवाओं तथा 5 लाख एवं इससे अधिक राशि के अनुमानित मूल्यों के कार्यों के निष्पादन हेतु ई खरीद टेंडर निविदा प्रणाली को अपनाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अंकेक्षण हेतु चयनित व्यय माह 05/2022 एवं 06/2023 के बिल /वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत टेन्डर कॉल

करने की प्रक्रिया को पूर्ण किये बिना ही **परिशिष्ट " झ "** पर संलग्न विवरणानुसार राशि **₹5,72,788.00** के पेवर ब्लॉक खरीदे गये जोकि अनियमित एवं अनुचित प्रक्रिया है और यह ग्राम पंचायत द्वारा नियमों एवं दिशा-निर्देशों की पालना के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। बिल /वाउचरों के अवलोकन पर पाई गई आपत्तियाँ निम्नलिखित है :-

(क) हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (5) ए के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा ₹50,000.00 से अधिक की खरीद पर न्यूनतम दो समाचार पत्रों द्वारा टेन्डर कॉल किये जाने अपेक्षित हैं ।

(ख) ग्राम पंचायत द्वारा ई-निविदा खरीद टेंडर प्रणाली अपनाने के समर्थन में कोई अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(ग) हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (3) के अनुसार उक्त सामग्री की खरीद से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा एक उप-समिति का गठन नहीं किया गया था।

(घ) सचिव (RD&PR) हि० प्र० सरकार के पत्र संख्या No.PCH-HC(10) FFC-Misc-60819-978 दिनांक 13.11.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हि० प्र० सरकार के स्वीकृत माध्यम अर्थात भंडार नियंत्रक (**Controller of store**) की दर संविदा (**Rate Contract)** अथवा **Gem Portal** पर अपेक्षित सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कर किया जाना वांछित था तथा ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पत्र में वर्णित प्रावधान "It will be mandatory for the concerned technical authority to give justification of the rates in the estimate. Before placing the supply, order or awarding the work to lowest bidder justification of rates may be prepared and got approved from the one step up authority who has accorded technical sanction" को भी खरीद से पूर्व सुनिश्चित नहीं किया गया था।

यदि वांछित सामग्री हि० प्र० सरकार के भंडार नियंत्रक के **Rate Contract** अथवा **Gem Portal** पर उपलब्ध नहीं होती तो पंचायत द्वारा उक्त सामग्री का क्रय खुले बाजार से नियमानुसार ई-खरीद टेंडर प्रणाली अमल में ला करके किया जा सकता था

परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी। पंचायत द्वारा व्यापक प्रचार के कारण होने वाली बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने हेतु नियमानुसार अपेक्षित स्पष्ट पारदर्शी कार्यवाही अमल में लाने के फलस्वरूप होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/अघार दिनांक 30.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 16 दिनांक 31.12.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा पेवर ब्लॉक की खरीद खुले बाजार से निविदाओं के आधार पर न्यूनतम दर अनुमोदित करने उपरांत की गई है तथा भविष्य में वर्णित नियमों की पूर्ण अनुपालना सहित ही पेवर ब्लॉक का क्रय किया जाएगा। प्रत्युत्तर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया। नियमानुसार सामग्री क्रय न करने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किसी व्यक्ति विशेष/ आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ पहुंचाने की संभावना एवं व्यय राशि के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा लाखों रुपये की धनराशि का व्यय नियमों की अवहेलना करते हुये करना उचित नहीं है। उक्त अनियमितताओं बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण हेतु समर्थित अभिलेख एवं भौतिक सत्यापना सहित उक्त भुगतानों को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये एवं वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

इसके अतिरिक्त मामला पंचायती राज विभागीय उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विस्तृत जांच उपरान्त यथास्थिति लाई गई अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाने हेतु लाया जाता है।

8.7 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹9.94 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना: -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने, निविदायें

(Quotations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि औपचारिकतायें प्रावधित हैं।

विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित माह के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि पंचायत द्वारा राशि **₹9,93,665.62** के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट - " ञ "** में दिया गया है, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 14/2024/अघार दिनांक 31.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17 दिनांक 01.01.2025 द्वारा बताया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में तथा कार्य की आकस्मिकता के कारण औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया जा सका व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये कृत व्यय को सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने उपरान्त ही स्टॉक/स्टोर का क्रय,भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.8 स्थायी व अस्थायी भण्डार ₹19.96 लाख का भंडारण पुस्तिकाओं में इन्द्राज न करना:

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए, बी, सी व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25 से 28 में लेखांकन किया जाना है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्थायी स्टॉक रजिस्टर असंधारित है जिसके अभाव में चयनित व्यय माह 05/2022 एवं 06/2023 के बिल /वाउचरों के अनुसार पंचायत द्वारा **परिशिष्ट " ट "** पर संलग्न विवरणानुसार राशि **₹19,95,895.27** के भण्डार की स्टॉक प्रविष्टि की पुष्टि नहीं की जा सकी, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 14/2024/अघार दिनांक 31.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17 दिनांक 01.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। प्रस्तुत प्रतिउत्तर नियमों के प्रतिकूल एवं तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है। स्टॉक रजिस्टर के अभाव में क्रय सामग्री/भंडार के दुर्विनियोजन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अत: क्रय किये गये प्रत्येक सामान का नियमानुसार इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.9 15वें वित्त आयोग के अर्न्तगत निष्पादित विकास कार्यों हेतु स्वीकृत राशि ₹7.92 लाख से संबंधित वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम **94, 95** व **101** के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति व प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता। नियम **79(2)** अनुसार पंचायत सचिव संपरीक्षा के संचालन के लिए, संपरीक्षक(कों) सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा और सभी अभिलेखों विवरणीयों और लेखों के रजिस्टर/ अभिलेख संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए तैयार रखेगा।

अंकेक्षण के दौरान बिल/वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा 15वें वित्त आयोग के अर्न्तगत निष्पादित विकास कार्यों हेतु स्वीकृत राशि **₹ 7,92,198.00** से संबंधित प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिकाएं व उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट - "ठ "** में दिया गया है परिणामस्वरूप निष्पादित निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि व मूल्यांकित राशि के अनुसार किए गए भुगतान की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 14/2024/अघार दिनांक 31.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17 दिनांक 01.01.2025 के अन्तर्गत तथ्यों की पुष्टि उपरांत बताया गया कि 15वें वित्त आयोग के अर्न्तगत निष्पादित विकास कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिकाएं व उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। प्रस्तुत प्रत्युत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है। वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत न करना ग्राम पंचायत द्वारा नियमों एवं दिशा-निर्देशों की पालना के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत द्वारा किसी व्यक्ति विशेष/ आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ पहुंचाने की संभावना एवं व्यय राशि के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अतः 15वें वित्त आयोग के अर्न्तगत निष्पादित विकास कार्यों के वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने का मामला विभागीय उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता है कि आवश्यक छानबीन एवं पड़ताल उपरांत समर्थित/वांछित अभिलेख एवं भौतिक सत्यापना सहित उक्त भुगतानों को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.10 राशि ₹23.32 लाख के बिल/ वाउचरों हेतु नियमानुसार भुगतान आदेश सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **49(1)** में पंचायत द्वारा अदायगी आदेश (पे ऑर्डर) जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा बिलों का भुगतान केवल प्रधान के हस्ताक्षर उपरांत किया गया था, जिनमें से चयनित माह के व्यय का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :-

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	चयनित माह	चयनित माह में पारित बिलों की कुल राशि (₹)
1.	2021-22	05/2022	**17,66,209.00**
2.	2023-24	06/2023	**5,66,008.00**
		कुल योग	**23,32,217.00**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 14/2024/अघार दिनांक 31.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17 दिनांक 01.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि भविष्य में इस त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा एवं नियमानुसार भुगतान से पूर्व संयुक्त अदायगी आदेश का इस्तेमाल किया जाएगा।

अतः पंचायत द्वारा अदायगी आदेश (पे ऑर्डर) जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताओं का पूर्ण रूप से पालन न करने के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व परामर्श दिया जाता है समस्त भुगतान बिलों पर संयुक्त रूप से प्रधान व सचिव के हस्ताक्षरों के उपरान्त ही बिलों की अदायगी को सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

9. मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित विभिन्न निर्माण कार्यों से संबंधित अनियमितता बारे

9.1 मनरेगा के अर्न्तगत व्यय राशि ₹8.97 लाख से संबंधित वांछित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारेः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम **94, 95** व **101** के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति व प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता। नियम **79(2)** अनुसार पंचायत सचिव संपरीक्षा के संचालन के

लिए, संपरीक्षक(कों) सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा और सभी अभिलेखों विवरणीयों और लेखों के रजिस्टर/ अभिलेख संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए तैयार रखेगा।

अंकेक्षण हेतु चयनित माह के बिल/वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अर्न्तगत निष्पादित विकास कार्यों हेतु चयनित माह अनुसार राशि **₹8,97,294.00** का भुगतान **परिशिष्ट " ड "** पर संलग्न विवरणानुसार किया गया जिससे से संबंधित प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिकाएं व उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके अभाव में संबंधित स्वीकृत राशि व मूल्यांकित राशि के अनुसार किए गए भुगतान की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 14/2024/अघार दिनांक 31.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17 दिनांक 01.01.2025 द्वारा पंचायत सचिव द्वारा बताया गया कि उक्त कार्यों से संबंधित प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिका व उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। प्रस्तुत प्रत्युत्तर तर्कसंगत नहीं है।

अतः मनरेगा के अर्न्तगत निष्पादित विकास कार्यों हेतु व्यय राशि से संबंधित वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने का मामला विभागीय उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता है कि आवश्यक जांच उपरान्त नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.2 मनरेगा के तहत व्यक्तिगत कार्यों में मजदूरी सामग्री अनुपात (60:40) के उल्लंघन करने के कारण आपूर्तिकर्ता को राशि ₹0.21 लाख का अतिरिक्त/ अनियमित भुगतान करना

प्रधान सचिव (ग्रा०वि०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या एसएमएस-8/2011-12-आर.डी.डी. (एम.पी.आर) दिनांक 22 जुलाई 2011 द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरी तथा गैर मजदूरी घटक पर निर्धारित 60:40 अनुपात को सुनिश्चित करने हेतु जारी दिशा निर्देशों अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले

परिवारों, लघु तथा सीमान्त किसानों की निजी भूमि पर किये जाने वाले प्रत्येक कार्य पर मजदूरी तथा गैर मजदूरी घटक पर व्यय क्रमशः 60:40 के अनुपात में ही होगा।

अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित कार्यों के लिए जारी निर्देशों की उल्लंघना करते हुये मजदूरी तथा गैर मजदूरी घटक पर निर्धारित 60:40 अनुपात को सुनिश्चित न करने के कारण आपूर्तिकर्ता को सामग्री क्रय हेतु राशि **₹20,822.28** का अतिरिक्त/ अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है , जिससे से संबंधित कार्यों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ढ "** पर संलग्न है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 14/2024/अघार दिनांक 31.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17 दिनांक 01.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि इस बारे तकनीकी सहायक से चर्चा उपरांत त्रुटि स्वीकार करते हुये अंकेक्षण को आश्वासन दिया जाता है कि नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा । प्रस्तुत प्रत्युत्तर तथ्यरहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार मजदूरी तथा गैर मजदूरी घटक पर निर्धारित 60:40 अनुपात को सुनिश्चित न करने के कारण आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचरों के प्रति किए गये भुगतान को उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता है कि नियमानुसार कार्यों के भुगतान को तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अतिरिक्त/अनियमित भुगतान की गई राशि की नियमानुसार गणना कर उच्च अधिकारियों की सत्यापना सहित वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरांत कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों का अवलोकन किया गया है। शेष अंकेक्षण अवधि में हुए ऐसे समस्त भुगतानों की कार्यालय स्तर पर समुचित गणना कर उच्च अधिकारियों की सत्यापना उपरांत वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.3 मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्यों के राशि ₹2.40 लाख के मस्टर रोलों को जारी करने के रजिस्टर में प्रविष्टि न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 102(1 से 7) में मस्टर रोल को जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि मनरेगा के अंर्तगत विभिन्न निर्माण कार्यों से संबंधित राशि **₹2,40,009.00** के मस्टर रोलों की प्रविष्टि मस्टर रोल जारी करने के रजिस्टर में नहीं की गई थी, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ण "** पर संलग्न है। लेखांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता के अभाव के फलस्वरूप दोहरे भुगतान के प्रकरणों की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 14/2024/अघार दिनांक 31.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17 दिनांक 01.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा । प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल एवं तथ्यपूर्ण न होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अत: विभागीय स्तर पर दोहरे भुगतान के मामलों की विस्तृत जांच कर तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में उपरोक्त वर्णित नियमों की पूर्णतः पालना सुनिश्चित की जाये।

9.4 मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्यों हेतु राशि ₹2.40 लाख के मस्टर रोलों का भुगतान संयुक्त अदायगी आदेश के बिना करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1) में पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान व्यय चयनित माह में हुये भुगतानों के अवलोकन पर पाया गया कि मनरेगा के अंर्तगत विभिन्न निर्माण कार्यों से संबंधित मस्टर रोलों के भुगतान हेतु राशि

₹2,40,009.00 का व्यय केवल प्रधान के हस्ताक्षर उपरांत किया गया था जिससे स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा भुगतान हेतु उपरोक्त नियम द्वारा प्रावधित औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ण "** पर संलग्न है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 14/2024/अघार दिनांक 31.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17 दिनांक 01.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा । प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल एवं तथ्यपूर्ण न होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अतः परामर्श दिया जाता है समस्त भुगतान उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं की पूर्ण पालना उपरांत ही किया जाये तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

9.5 मनरेगा के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों से संबंधित माप पुस्तिका के अभिलेखन व अनुरक्षण करने में प्रतिपादित नियमों की अवहेलना बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिसूचना क्रमांक PCH-HB(1)10/2017-PREW-44424-570 दिनांक 23.07.2019 के अनुसार तकनीकी सहायकों द्वारा माप पुस्तिका में तैयार किए गए कार्य अभिलेख प्रविष्टियों और बिल के मूल्यांकन के लिए, 3.00 लाख रुपये तक की लागत वाले कार्य जूनियर इंजीनियर द्वारा पारित किए जाएंगे और जूनियर इंजीनियर द्वारा तैयार किए गए 3.00 लाख रुपये से अधिक लागत वाले रिकॉर्ड प्रविष्टियों और बिल को सहायक इंजीनियर या कार्यकारी इंजीनियर द्वारा पारित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा माप पुस्तिकाओं में तकनीकी सहायक द्वारा की गई रिकॉर्ड प्रविष्टियों को विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा भुगतान हेतु पारित एवं प्रतिहस्ताक्षरित करवाए बिना भुगतान उपरोक्त वर्णित नियमों की अवहेलना के उपरांत किया गया था। फलस्वरूप किये गये भुगतानों की तकनीकी रूप से नमूना जांच एवं

सत्यापना के अभाव में किसी वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 14/2024/अघार दिनांक 31.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17 दिनांक 01.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल एवं तथ्यपूर्ण न होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अत: भविष्य में उपरोक्त वर्णित नियमों की पूर्णतः पालना सुनिश्चित की जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

9.6 मनरेगा के अंतर्गत किये गए भुगतान के FTOs (fund transfer orders) एवं Movement Slip को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे

ग्राम पंचायत के चयनित माहों के अंकेक्षण में मनरेगा के अंतर्गत किये गए भुगतान के FTOs (fund transfer orders) को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि जो बिल पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गए हैं वास्तव में उन्हीं को भुगतान किया गया है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 14/2024/अघार दिनांक 31.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17 दिनांक 01.01.2025 द्वारा बताया कि मनरेगा भुगतानों के FTOs (fund transfer orders) एवं Movement Slip पंचायत में उपलब्ध नहीं है इस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये जा सकते। उत्तर संतोषजनक नहीं है अतः FTOs (fund transfer orders) एवं Movement Slip का पंचायत में न पाया जाने को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10. विविध अनियमितताएं :-

10.1 विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति न करने के कारण राशि ₹0.01 लाख की राजकीय कोष को राजस्व हानि बारे: -

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200.00(APL)/₹25.00(BPL) प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400.00(APL)/₹50.00(BPL) अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया जाना निर्धारित है तथा जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरांत विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या **"0070-60-108-01"** में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि आवेदनकर्ताओं से विवाह पंजीकरण शुल्क राशि **₹1,000.00** प्राप्ति शेष थी, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " त "** पर संलग्न है। विवाह पंजीकरण शुल्क की नियमानुसार प्राप्ति न करने के कारण राजकीय कोष की राजस्व हानि प्रतीत होती है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/अघार दिनांक 23.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर 12 दिनांक 24.12.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में विवाह पंजीकरण शुल्क प्राप्त नहीं किया गया तथा उक्त राशि को पंचायत द्वारा आवेदनकर्ताओं से प्राप्त करके सभा निधि खाता में जमा करवा कर तदोपरान्त सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा और की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली कर तदोपरान्त सरकारी कोष में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व भविष्य में नियमित रूप से प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

10.2 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि ₹0.05 लाख को हि०प्र० राजकीय कोष में जमा न करने से राजस्व की हानि बारे: -

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या **"0070-60-108-01"** में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि आवेदनकर्ताओं से वसूली गई विवाह पंजीकरण शुल्क राशि **₹5,400.00** जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " त "** पर संलग्न है को राजकीय कोष में जमा नहीं करवाया गया था, जिस कारण हि०प्र० राजकीय कोष को संभावित राजस्व की हानि प्रतीत होती है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/अघार दिनांक 23.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर 12 दिनांक 24.12.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया व जिसे भविष्य में सुधार लिया जाएगा और की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली से प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में नियमित रूप से प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

10.3 निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए अनुभागी / संकर्म समिति द्वारा अनुबंध हस्ताक्षरित न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक अनुभागी / संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य

निष्पादन हेतु पंचायत के साथ उपरोक्त नियमों के "परिशिष्ट -ई" में दिए गये अनुबंध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देखरेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी।

अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट "ठ ", "ड" एवं " ण "** पर संलग्न दृष्टांत मामलों में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

10.4 पंचायत बैठक की कार्यवाहियों को अभिलिखित करने की प्रक्रिया का पालन न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 27 (3) के अनुसार "निर्माण कार्यों तथा विकासात्मक कार्यों के लेखों का अनुमोदन प्रत्येक ग्राम पंचायत की बैठक का अनिवार्य एजेण्डा होगा । पूर्व मास आय-व्यय का मदवार विवरण विहित प्रपत्र पर ग्राम पंचायत की बैठक में विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत में चल रहे विकास कार्यों के आय-व्यय का लेखा-जोखा प्रपत्र 34 पर ग्राम पंचायत की बैठक में विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ रखा जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत की कार्यवाही का अवलोकन करने पर पाया गया कि लेखा-जोखा प्रपत्र 34 अनुसार असंधारित है तथा ग्राम पंचायत का आय-व्यय नियमानुसार ग्राम पंचायत की बैठक में विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ नहीं रखा जा रहा था, जोकि पंचायत की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाती है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 14/2024/अघार दिनांक 31.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17 दिनांक 01.01.2025 द्वारा बताया गया कि नियमानुसार लेखा जोखा खाता का संधारण कर लिया जाएगा व बैठक/सभा की कार्यवाही नियमपूर्वक अमल में लाई जाएगी।

अतः उक्त मामले में सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

10.5 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होनाः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1) के अनुरूप लेखों का रख रखाव ग्राम पंचायत अघार द्वारा नहीं किया गया था। जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। ग्राम पंचायत अघार के चयनित मासों के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थे।

अतः भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.6 वाउचर नम्बरों का न लगाया जानाः -

हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(1) के अनुसार वाउचरों पर वाउचर क्रमांक लगाया जाना अपेक्षित है।

वाउचर नस्तियों के अंकेक्षण में पाया गया कि अवधि 2022-23 व 2023-24 में मनरेगा के व्यय वाउचरों में वाउचर क्रमांक नहीं लगाए गए थे। जोकि उक्त प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है तथा उचित वाउचर क्रमांक के अभाव में अंकेक्षण में भी दिक्कतें आई हैं। अतः इस अनियमितता तथा नियमों की अवहेलना के बारे में तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अँकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10.7 हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104(2)(1) व 105 के अनुसार निर्माण कार्यों की नमूना जाँच, माप पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत करवाए गए कार्यों के मूल्याकनों की माप पुस्तिकाएं तकनीकी सहायक द्वारा लिखी गयी थी परन्तु माप पुस्तिका में नियमानुसार किसी भी सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन व परीक्षण जांच नहीं किया गया था नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही थी, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

11. नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करना :-

11.1 हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है जिस कारण अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत अभिलेखों एवं तथ्यों की सत्यता, पुष्टि एवं प्रमाणीकरण संभव नहीं हो सका।

(क) हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 अनुसार

क्र०सं०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	प्रारूप
1.	निवेश रजिस्टर	12(1) व 27(1)	01
2.	लेखा खाता/खाता बही	29 (1 से 3)	07
3.	वर्गीकृत सार रजिस्टर	29 (4)	08
4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	15(1)	----
5.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	30	09
6.	बजट प्राक्कलन	37	11
7.	बिल प्राप्ति का रजिस्टर	48	13
8.	यात्रा भत्ता जाँच पड़ताल रजिस्टर	60	20

9.	स्टाम्प रजिस्टर	61 (2)	24
10.	लेखन सामग्री रजिस्टर	72 (1)	28
11.	संपरीक्षा और निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति और निपटान को दर्शाता रजिस्टर	89	30
12.	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	95(1)	31
13.	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर	---	101(2)

(ख) हि० प्र० पंचायती राज (सामान्य) 1997 नियमावली अनुसार

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	प्रारूप
1.	स्थाई स्टॉक रजिस्टर	34	01
2.	रसीद बहियों का स्टॉक रजिस्टर	34	02
3.	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर	35	07
4.	सहायता अनुदान रजिस्टर	34	08
5.	कर रजिस्टर	34	---
6.	विकास कार्यों का लेखा जोखा	18(3), 27(3), 97(5) व 105(5)	34

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/अघार दिनांक 23.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 09 दिनांक 24.12.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्टरों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11.2 ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 12034/01/2016 - आर ई -1 (347366) दिनांक 17.11.2016 अनुसार मंत्रालय ने ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा के अंतर्गत 07 अनिवार्य रजिस्टरों का रख रखाव करने हेतु निर्देश जारी किए ताकि ग्राम रोजगार सहायक मनरेगा कार्यक्रम के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में अपना समय प्रभावी तथा लाभदायक ढंग से लगा सकें।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत 07 अनिवार्य रजिस्टर में से निम्नलिखित रजिस्टरों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

क्रमांक	**रजिस्टर क्रमांक**	**रजिस्टर का प्रायोजन**
1.	रजिस्टर - I	जॉब कार्ड (आवेदन, पंजीकरण और जारी करने के लिए) और घरेलू रोजगार रिपोर्ट।
2.	रजिस्टर-III	कार्य की मांग, कार्य आवंटन और मजदूरी भुगतान रजिस्टर
3.	रजिस्टर-IV	कार्य (Work) रजिस्टर
4.	रजिस्टर-V	अचल संपत्ति रजिस्टर
5.	रजिस्टर-VI	शिकायत रजिस्टर
6.	रजिस्टर-VII	सामग्री रजिस्टर

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/अघार दिनांक 23.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 11 दिनांक 24.12.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्टरों का नियमानुसार अनुरक्षण एवं अद्यतन कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर अंकेक्षण अवधि से संबंधित सभी रजिस्टरों को नियमानुसार अद्यतन करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया जा रहा था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 14/2024/अघार दिनांक 31.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17 दिनांक 01.01.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अत: अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13. लघु-आपत्ति विवरणिका :- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

14. निष्कर्ष :-

(क) हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(ख) PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) में खातों का रखरखाव बारे नियमों एवं समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(ग) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (MGNREGA Act 2005) एवं भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्षवार जारी मनरेगा वार्षिक मास्टर परिपत्र (Annual Master Circular) और हि०प्र० पंचायती राज विभाग द्वारा वर्णित नियमों एवं समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से मनरेगा के क्रियान्वयन में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

18 MAR 2025

1671-1675 का०/प्रति०

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)457/2025–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नूरपुर, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत अघार, विकास खण्ड नूरपुर, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

18 MAR 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का०/प्रति०

(परिशिष्ट " क " पैरा संख्या " 4(क) " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत अघार, वि०ख० नूरपुर, ज़िला काँगड़ा, हि०प्र० 176051

ANNEXURE -1

FINANCIAL POSITION OF GP AGHAR FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1. OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	345416.00	538763.00	884179.00	640109.00	244070.00
2023-24	244070.00	95436.00	339506.00	123358.00	216148.00

2. GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1806304.35	4271409.00	6077713.35	4224526.00	1853187.35
2023-24	1853187.35	1931886.00	3785073.35	3224533.00	560540.35

It is certified that above mentioned data is true and as per records available at gram panchayat Aghar.

Reeti

पंचायत सचिव
ग्रा.प. आघार
वि.ख. नूरपुर (कांगड़ा) हि.प्र

42

(परिशिष्ट " ख " पैरा संख्या " 4(क)" के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत अघार, वि०ख० नूरपुर, ज़िला काँगड़ा, हि०प्र० 176051

ANNEXURE -2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP LUDRET FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	VKVNY	2022-23	165.00	0.00	165.00	0.00	165.00
		2023-24	165.00	0.00	165.00	0.00	165.00
2	SBM	2022-23	13173.00	0.00	13173.00	0.00	13173.00
		2023-24	13173.00	0.00	13173.00	0.00	13173.00
3	SDP	2022-23	38070.00	0.00	38070.00	0.00	38070.00
		2023-24	38070.00	0.00	38070.00	0.00	38070.00
4	MPLADS	2022-23	6985.00	0.00	6985.00	0.00	6985.00
		2023-24	6985.00	0.00	6985.00	0.00	6985.00
5	RAYEAAY	2022-23	1524.00	0.00	1524.00	0.00	1524.00
		2023-24	1524.00	0.00	1524.00	0.00	1524.00
6	13TH FC	2022-23	4552.00	0.00	4552.00	0.00	4552.00
		2023-24	4552.00	0.00	4552.00	0.00	4552.00
7	14TH FC	2022-23	379594.35	0.00	379594.35	297638.00	81956.35
		2023-24	81956.35	0.00	81956.35	0.00	81956.35
8	15TH FC	2022-23	1362241.00	1395974.00	2758215.00	1051453.00	1706762.00
		2023-24	1706762.00	540254.00	2247016.00	1832901.00	414115.00
9	MGNREGA	2022-23	0.00	2875435.00	2875435.00	2875435.00	0.00
		2023-24	0.00	1391632.00	1391632.00	1391632.00	0.00

It is certified that above mentioned data is true and as per records available at gram Panchayat Aghar.

Recd

पंचायत सचिव
ग्रा.प. आघार
वि.ख. नूरपुर (कांगड़ा) हि.प्र

43

(परिशिष्ट " ग ", पैरा संख्या " 4 (ख) " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत अघार, वि०ख० नूरपुर, ज़िला कांगड़ा, हि०प्र० - 176051

ग्राम पंचायत लुदरेट के दिनांक 31.03.2024 को बैंक शेष व रोकड़ बही में अंतर :-

क्र०सं०	शीर्ष	बैंक	खाता सं०	बैंक अंत शेष 31.03.2024	रोकड़ बही अंत शेष 31.03.2024
1	सभा निधि (OWN SOURCE), 5वां राज्य वित्तायोग (5TH SFC), विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.), क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP), राज्य आपदा राहत कोश (SDRF), स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	के०सी०सी०बी० गनोह	20030006542	₹ 3,43,998.98	₹ 2,67,391.00
2	विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.)	के०सी०सी०बी० गनोह	50051936322	₹ 185.00	₹ 165.00
3	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (M.P.L.A.D.S.)	के०सी०सी०बी० गनोह	50051936399	₹ 8,158.00	₹ 6,985.00
4	राजीव आवास योजना/ अटल आवास योजना (RAYEAAY)	के०सी०सी०बी० गनोह	50056986823	₹ 1,779.00	₹ 1,524.00
5	13वाँ वित्तायोग (13TH FC)	के०सी०सी०बी० गनोह	50051936344	₹ 16,359.00	4552.00
6	14वाँ वित्तायोग (14TH FC)	HDFC जसूर	50100170080070	₹ 1,01,950.87	₹ 81,956.35
7	15वाँ वित्तायोग (15TH FC)	HDFC जसूर	50100358005567	₹ 3,49,883.30	₹ 4,14,115.00
		हस्तगत नकद शेष (Own Source)		₹ 456.00	₹ 0.00
		कुल योग		₹ 8,22,770.15	₹ 7,76,688.35

दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-	
पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-	₹ 8,22,770.15
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :-	₹ 7,76,688.35
अंतर :-	₹ 46,081.80

It is certified that above mentioned data is true and as per records available at gram Panchayat Aghar.

Reeh

पंचायत सचिव
ग्रा.प. अघार
वि.ख. नूरपुर (कांगड़ा) हि.प्र.

44

(परिशिष्ट " घ ", पैरा संख्या " 7.1 " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत अघार, वि०ख० नूरपुर, ज़िला काँगड़ा हि०प्र०176051

दिनांक 31-03-2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पत्ति कर/ गृहकर:-

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2022-23 में 625 का ₹30/- तथा 2023-24 में 625 परिवारों का व ₹50/- प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से:-

वित्तीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	₹ 69,150.00	625	₹ 30.00	₹ 18,750.00	₹ 87,900.00	₹ 0.00	₹ 87,900.00
2023-24	₹ 87,900.00	630	₹ 50.00	₹ 31,500.00	₹ 1,19,400.00	₹ 0.00	₹ 1,19,400.00
	नोट:- दिनांक 31.03.2024 को बकाया गृहकर की राशि **₹1,19,400/-** है।						

It is certified that above mentioned data is true and as per records available at gram Panchayat Aghar

Reeti

पंचायत सचिव
ग्रा.प. अघार
वि.ख. नूरपुर (कांगड़ा) हि.प्र

45

ग्राम पंचायत अघार द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण राशि ₹ 8.26 लाख के अनियमित भुगतान का विवरण

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	Deno	राशी GST सहित	स्टॉक रजि० पृ० सं०	फार्म X / फार्म Y
	वित्त वर्ष - 2022-2023									
	अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)									
1.	ANKUSH SHARMA	NIL/ 17.05.2022	124/ 04.01.2022	AGG.	₹ 1,360.00	7.00	m^3	₹ 9,520.00	Not entered	Not available
2.	ANKUSH SHARMA	NIL/ 17.05.2022	125/ 04.01.2022	SAND	₹ 1,470.00	4.00	m^3	₹ 5,880.00	Not entered	Not available
3.	ANKUSH SHARMA	NIL/ 17.05.2022	128/ 04.01.2022	AGG.	₹ 1,360.00	19.00	m^3	₹ 25,840.00	Not entered	Not available
4.	ANKUSH SHARMA	NIL/ 17.05.2022	129/ 04.01.2022	SAND	₹ 1,470.00	10.00	m^3	₹ 14,700.00	Not entered	Not available
5.	ANKUSH SHARMA	NIL/ 17.05.2022	116/ 03.01.2022	AGG.	₹ 1,360.00	57.00	m^3	₹ 77,520.00	Not entered	Not available
6.				SAND	₹ 1,470.00	30.00	m^3	₹ 44,100.00		
7.				STONE	₹ 780.00	23.00	m^3	₹ 17,940.00		
8.	ANKUSH SHARMA	NIL/ 17.05.2022	131/ 04.01.2022	AGG.	₹ 1,360.00	30.00	m^3	₹ 40,800.00	Not entered	Not available
9.	ANKUSH SHARMA	NIL/ 17.05.2022	132/ 04.01.2022	SAND	₹ 1,470.00	15.00	m^3	₹ 22,050.00	Not entered	Not available
10.	ANKUSH SHARMA	NIL/ 17.05.2022	133/ 04.01.2022	BOULDER	₹ 780.00	16.00	m^3	₹ 12,480.00	Not entered	Not available
11.	ANKUSH SHARMA	NIL/ 17.05.2022	135/ 04.01.2022	SAND	₹ 1,470.00	26.00	m^3	₹ 38,220.00	Not entered	Not available
12.	ANKUSH SHARMA	NIL/ 17.05.2022	137/ 04.01.2022	AGG.	₹ 1,360.00	32.00	m^3	₹ 43,520.00	Not entered	Not available
13.	ANKUSH SHARMA	NIL/ 17.05.2022	138/ 04.01.2022	AGG.KHAD	₹ 790.00	84.00	m^3	₹ 66,360.00	Not entered	Not available
14.	ANKUSH SHARMA	NIL/ 17.05.2022	149/ 10.03.2022	SAND	₹ 1,470.00	17.00	m^3	₹ 24,990.00	Not entered	Not available
15.	ANKUSH SHARMA	NIL/ 17.05.2022	150/ 10.03.2022	AGG.	₹ 1,360.00	18.00	m^3	₹ 24,480.00	Not entered	Not available
16.	ANKUSH SHARMA	NIL/ 17.05.2022	151/ 10.03.2022	BOULDER	₹ 790.00	45.00	m^3	₹ 35,550.00	Not entered	Not available
17.	ANKUSH SHARMA	NIL/ 17.05.2022	144/ 22.01.2022	SAND	₹ 1,470.00	24.00	m^3	₹ 35,280.00	Not entered	Not available
18.	ANKUSH SHARMA	NIL/ 17.05.2022	146/ 22.01.2022	AGG.	₹ 1,360.00	9.00	m^3	₹ 12,240.00	Not entered	Not available
19.	ANKUSH SHARMA	NIL/ 17.05.2022	117/ 03.01.2022	AGG.	₹ 1,360.00	10.00	m^3	₹ 13,600.00	Not entered	Not available
20.				SAND	₹ 1,470.00	7.00	m^3	₹ 10,290.00		
	अनुदान शीर्ष : 15वां वित्त आयोग (15TH FC)									
21.	ANKUSH SHARMA	XVFC/20222-23/P/19 Dt 23.05.2022	176/ 02.04.2022	AGG.	₹ 1,360.00	7.00	m^3	₹ 9,520.00	Not entered	Not available
22.				SAND	₹ 1,470.00	6.00	m^3	₹ 8,820.00		
23.				BOULDER	₹ 780.00	9.00	m^3	₹ 7,020.00		
24.	ANKUSH SHARMA	XVFC/20222-23/P/20 Dt 23.05.2022	175/ 02.04.2022	AGG.	₹ 1,360.00	6.00	m^3	₹ 8,160.00	Not entered	Not available
25.				SAND	₹ 1,470.00	4.00	m^3	₹ 5,880.00		
26.				BOULDER	₹ 780.00	3.31	m^3	₹ 2,581.80		
	वित्त वर्ष - 2023-24									
	अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)									
27.	ANKUSH SHARMA	NIL/ 20.06.2023	104/ 12.02.2023	SAND	₹ 1,110.00	39.00	m^3	₹ 43,290.00	Not entered	Not available
28.				AGG.10MM	₹ 1,280.00	1.00	m^3	₹ 1,280.00		
29.				AGG.20MM	₹ 1,276.00	14.00	m^3	₹ 17,864.00		
30.				AGG.40MM	₹ 1,069.00	35.00	m^3	₹ 37,415.00		
31.	ANKUSH SHARMA	NIL/ 20.06.2023	105/ 12.02.2023	AGG.20MM	₹ 1,276.00	1.00	m^3	₹ 1,276.00	Not entered	Not available
32.	ANKUSH SHARMA	NIL/ 23.06.2023	113/ 25.03.2023	SAND	₹ 1,111.00	18.00	m^3	₹ 19,998.00	Not entered	Not available
33.				AGG.20MM	₹ 1,276.00	6.00	m^3	₹ 7,656.00		
34.				AGG.40MM	₹ 1,069.00	16.00	m^3	₹ 17,104.00		
35.				BOULDER	₹ 766.00	14.00	m^3	₹ 10,724.00		
	अनुदान शीर्ष : 15वां वित्त आयोग (15TH FC)									
36.	ANKUSH SHARMA	XVFC/20222-23/P/8 Dt 19.06.2023	151/ 19.06.2023	SAND	₹ 1,870.00	12.00	m^3	₹ 22,440.00	Not entered	Not available
37.				AGG.	₹ 1,760.00	17.00	m^3	₹ 29,920.00		
							कुल जोड़	₹ 8,26,308.80		

It is certified that above mentioned data is true and as per record available at Gram Panchayat Aghar

yashpal
GRS Aghar

Technical Assistant
G.P. ______
Dev. Block Nurpur (Kangra) H.P.

46

पंचायत सचिव
ग्रा.प. अघार
वि.ख. नरपुर (कांगड़ा) हि.प्र.

परिशिष्ट " च ", पैरा संख्या " 8.2 " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत अघार द्वारा बजरी एवं पत्थर की खरीद में रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण राशि ₹ 0.36 लाख का अतिरिक्त/अनियमित भुगतान का विवरण

	वित्त वर्ष - 2022-2023									
	अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)									
क्र०सं०	**आपूर्तिकर्ता**	**वा०सं०/दिनांक**	**बिल सं०/दिनांक**	**मद का नाम**	**दर**	**मात्रा**	**Deno**	**राशी GST सहित**	**कटौती दर**	**रिक्तियां (Voids)**
1.	ANKUSH SHARMA	NIL/ 17.05.2022	124/ 04.01.2022	AGG.	₹ 1,360.00	7.00	m^3	₹ 9,520.00	5.00%	₹ 476.00
2.	ANKUSH SHARMA	NIL/ 17.05.2022	128/ 04.01.2022	AGG.	₹ 1,360.00	19.00	m^3	₹ 25,840.00	5.00%	₹ 1,292.00
3.	ANKUSH SHARMA	NIL/ 17.05.2022	116/ 03.01.2022	AGG.	₹ 1,360.00	57.00	m^3	₹ 77,520.00	5.00%	₹ 3,876.00
4.				STONE	₹ 780.00	23.00	m^3	₹ 17,940.00	12.50%	₹ 2,242.50
5.	ANKUSH SHARMA	NIL/ 17.05.2022	131/ 04.01.2022	AGG.	₹ 1,360.00	30.00	m^3	₹ 40,800.00	5.00%	₹ 2,040.00
6.	ANKUSH SHARMA	NIL/ 17.05.2022	133/ 04.01.2022	BOULDER	₹ 780.00	16.00	m^3	₹ 12,480.00	12.50%	₹ 1,560.00
7.	ANKUSH SHARMA	NIL/ 17.05.2022	137/ 04.01.2022	AGG.	₹ 1,360.00	32.00	m^3	₹ 43,520.00	5.00%	₹ 2,176.00
8.	ANKUSH SHARMA	NIL/ 17.05.2022	138/ 04.01.2022	AGG.KHAD	₹ 790.00	84.00	m^3	₹ 66,360.00	5.00%	₹ 3,318.00
9.	ANKUSH SHARMA	NIL/ 17.05.2022	150/ 10.03.2022	AGG.	₹ 1,360.00	18.00	m^3	₹ 24,480.00	5.00%	₹ 1,224.00
10.	ANKUSH SHARMA	NIL/ 17.05.2022	151/ 10.03.2022	BOULDER	₹ 790.00	45.00	m^3	₹ 35,550.00	12.50%	₹ 4,443.75
11.	ANKUSH SHARMA	NIL/ 17.05.2022	146/ 22.01.2022	AGG.	₹ 1,360.00	9.00	m^3	₹ 12,240.00	5.00%	₹ 612.00
12.	ANKUSH SHARMA	NIL/ 17.05.2022	117/ 03.01.2022	AGG.	₹ 1,360.00	10.00	m^3	₹ 13,600.00	5.00%	₹ 680.00
	अनुदान शीर्ष : 15वां वित्त आयोग (15^{TH} FC)									
13.	ANKUSH SHARMA	XVFC/20222-23/P/19 Dt 23.05.2022	176/ 02.04.2022	AGG.	₹ 1,360.00	7.00	m^3	₹ 9,520.00	5.00%	₹ 476.00
14.				BOULDER	₹ 780.00	9.00	m^3	₹ 7,020.00	12.50%	₹ 877.50
15.	ANKUSH SHARMA	XVFC/20222-23/P/20 Dt 23.05.2022	175/ 02.04.2022	AGG.	₹ 1,360.00	6.00	m^3	₹ 8,160.00	5.00%	₹ 408.00
16.				BOULDER	₹ 780.00	3.31	m^3	₹ 2,581.80	12.50%	₹ 322.73
	वित्त वर्ष - 2023-24									
	अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)									
17.	ANKUSH SHARMA	NIL/ 20.06.2023	104/ 12.02.2023	AGG.10MM	₹ 1,280.00	1.00	m^3	₹ 1,280.00	5.00%	₹ 64.00
18.				AGG.20MM	₹ 1,276.00	14.00	m^3	₹ 17,864.00	5.00%	₹ 893.20
19.				AGG.40MM	₹ 1,069.00	35.00	m^3	₹ 37,415.00	10.00%	₹ 3,741.50
20.	ANKUSH SHARMA	NIL/ 20.06.2023	105/ 12.02.2023	AGG.20MM	₹ 1,276.00	1.00	m^3	₹ 1,276.00	5.00%	₹ 63.80
21.	ANKUSH SHARMA	NIL/ 23.06.2023	113/ 25.03.2023	AGG.20MM	₹ 1,276.00	6.00	m^3	₹ 7,656.00	5.00%	₹ 382.80
22.				AGG.40MM	₹ 1,069.00	16.00	m^3	₹ 17,104.00	10.00%	₹ 1,710.40
23.				BOULDER	₹ 766.00	14.00	m^3	₹ 10,724.00	12.50%	₹ 1,340.50
	अनुदान शीर्ष : 15वां वित्त आयोग (15^{TH} FC)									
24.	ANKUSH SHARMA	XVFC/20222-23/P/8 Dt 19.06.2023	151/ 19.06.2023	AGG.	₹ 1,760.00	17.00	m^3	₹ 29,920.00	5.00%	₹ 1,496.00
							कुल जोड़	**₹ 5,30,370.80**		**₹ 35,716.68**

It is certified that above mentioned data is true and as per record available at gram Panchayat Aghar.

Yashpal
GRS Aghar

Technical Assistant
G.P. ...
Dev. Block ... (Kangra) H.P.

Reeti
पंचायत सचिव
ग्रा.प. अघार
वि.ख. नूरपुर (कांगड़ा) हि.प्र.

47

ग्राम पंचायत अघार द्वारा जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती किए बिना अपूर्तिकर्ता को सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान करने के कारण राशि ₹ 0.23 लाख का अनियमित/अतिरिक्त भुगतान बारे

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	व्यय चयनित माह	फर्म/व्यक्ति का नाम	क्रय सेवाओं एवं सामग्री का विवरण	चयनित माह में कुल भुगतान की गई राशि	G.S.T T.D.S. कटौती दर	G.S.T T.D.S. की कटौती योग्य राशि
1	2022-23	05/2022	Ankush Sharma, (Forest & Govt. Contractor) Village Kehrna, P.O. Panjahra & Teh Nurpur, Kangra, GST No. **02AJXPA4734B2ZL**	Aggregate, Sand, Shuttering, Bricks, Cement Carriage, Water Tank, Mixture Machine & Road Roller	₹ 7,16,347.80	2%	₹ 14,326.96
2	2022-23	05/2022	Sher Singh Interlock Tiles, Village Nanglahar, P.O. Giora & Teh Nurpur, Kangra,GST No. **02DZGPS6141LIZ4**	80mm Interlock Tiles	₹ 4,16,932.20	2%	₹ 8,338.64
				Total (R/Off)	**₹ 11,33,280.00**	2%	**₹ 22,666.00**

Note: There was no bifurcation of GST Paid in the bill amount, therefore whole bill amount is considered for calculation of GST TDS.

It is certified that above mentioned data is true and as per records available at gram Panchayat Aghar

yashpal
GRS Aghar

Technical Assistant
G.P. Aghar
Dev. Block Nurpur (Kangra) H.P.

पंचायत सचिव
ग्रा.प. आघार
वि.ख. नरपुर (कांगड़ा) हि.प्र

48

ग्राम पंचायत अघार द्वारा सीमेंट क्रय हेतु भुगतान की गई अग्रिम राशि ₹ 4.30 लाख से संबंधित प्रोफॉर्मा बिल एवं मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना, प्राप्त सीमेंट की स्टॉक प्रविष्टि न करना एवं अग्रिम राशि का समायोजन हेतु शेष पाए जाने का विवरण

	वित्त वर्ष - 2022-2023						
	अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)						
क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/ दिनांक	Delivery/Transfer Challan No./ Date	मद का नाम	दर	मात्रा (Bags)	भुगतान की गई राशि
1.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	NIL/ 21.05.2022	10476/ 15.12.2021	सीमेंट	₹ 351.35	59.00	₹ 20,729.65
2.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	NIL/ 21.05.2022	10473/ 15.12.2021	सीमेंट	₹ 351.35	122.00	₹ 42,864.70
3.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	NIL/ 21.05.2022	10477/ 15.12.2021	सीमेंट	₹ 351.35	66.00	₹ 23,189.10
4.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	NIL/ 17.05.2022	23017/ 17.01.2022	सीमेंट	₹ 351.35	216.00	₹ 75,891.60
5.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	NIL/ 17.05.2022	23019/ 17.01.2022	सीमेंट	₹ 351.35	26.00	₹ 9,135.10
6.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	NIL/ 17.05.2022	23020/ 17.01.2022	सीमेंट	₹ 351.35	50.00	₹ 17,567.50
7.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	NIL/ 21.05.2022	10475/ 15.12.2021	सीमेंट	₹ 351.35	220.00	₹ 77,297.00
8.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	NIL/ 17.05.2022	23018/ 17.01.2022	सीमेंट	₹ 351.35	220.00	₹ 77,297.00
	वित्त वर्ष - 2023-24						
	अनुदान शीर्ष : 15वां वित्त आयोग (15TH FC)						
9.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	XVFC/20222-23/P/4 Dt 09.06.2023	10441/ 07.06.2023	सीमेंट	₹ 407.00	36.00	₹ 14,652.00
10.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	XVFC/20222-23/P/5 Dt 09.06.2023	10440/ 07.06.2023	सीमेंट	₹ 407.00	52.00	₹ 21,164.00
11.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	XVFC/20222-23/P/6 Dt 09.06.2023	10438/ 07.06.2023	सीमेंट	₹ 407.00	85.00	₹ 34,595.00
12.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	XVFC/20222-23/P/9 Dt 30.06.2023	10476/ 30.06.2023	सीमेंट	₹ 407.00	7.00	₹ 2,849.00
13.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	XVFC/20222-23/P/10 Dt 30.06.2023	10475/ 30.06.2023	सीमेंट	₹ 407.00	30.00	₹ 12,210.00
						कुल जोड़	₹ 4,29,441.65

It is certified that above mentioned data is true and as per records available at gram Panchayat Aghar

yashpal

G.R.S Aghar

Technical Assistant
G.P. Aghar
Dev. Block Nurpur (Kangra) H.P.

पंचायत सचिव
ग्रा.प. आघार
वि.ख. नरपुर (कांगड़ा) हि.प्र.

49

परिशिष्ट " झ ", पैरा संख्या " 8.6 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत अघार द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक / इंटरलोक टाइल के क्रय हेतु राशि ₹ 5.73 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे

	वित्त वर्ष - 2022-2023							
	अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)							
क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	Deno	राशी GST सहित
1.	Sher Singh Interlock Tiles	NIL/ 17.05.2022	28/ 13.01.2022	INTERLOCK TILES	₹ 17.10	5148.00	NO.	₹ 88,030.80
2.	Sher Singh Interlock Tiles	NIL/ 17.05.2022	29/ 13.01.2022	INTERLOCK TILES	₹ 17.10	5148.00	NO.	₹ 88,030.80
3.	Sher Singh Interlock Tiles	NIL/ 17.05.2022	26/ 13.01.2022	INTERLOCK TILES	₹ 17.10	4811.00	NO.	₹ 82,268.10
4.	Sher Singh Interlock Tiles	NIL/ 17.05.2022	27/ 13.01.2022	INTERLOCK TILES	₹ 17.10	9275.00	NO.	₹ 1,58,602.50
	वित्त वर्ष - 2023-24							
	अनुदान शीर्ष : 15वां वित्त आयोग (15^{TH} FC)							
5.	Jai Dev Tiles	XVFC/20222-23/P/7 Dt 19.06.2023	081/ 19.06.2023	80MM TILES	₹ 17.60	2533.00	NO.	₹ 44,580.80
6.			080/ 19.06.2023	80MM TILES	₹ 17.60	2100.00	NO.	₹ 36,960.00
7.	Jai Dev Tiles	XVFC/20222-23/P/9 Dt 30.06.2023	080/ 19.06.2023	60MM TILES	₹ 16.70	900.00	NO.	₹ 15,030.00
8.	Jai Dev Tiles	XVFC/20222-23/P/10 Dt 30.06.2023	072/ 30.06.2023	60MM TILES	₹ 16.70	1770.00	NO.	₹ 29,559.00
9.			073/ 30.06.2023	60MM TILES	₹ 16.70	1780.00	NO.	₹ 29,726.00
						कुल जोड़		₹ 5,72,788.00

It is certified that above mentioned data is true and as per records available at gram Panchayat Aghar.

Yashpal
G.R.S. Aghar

Technical Assistant
G.P.
Dev. Block Nurpur (Kangra) H.P.

Reeti
पंचायत सचिव
ग्रा.प. आघार
वि.ख. नरपुर (कांगड़ा) हि.प्र.

ग्राम पंचायत अघार द्वारा औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किये बिना राशि ₹ 9.94 लाख की सामग्री/स्टॉक के क्रय का विवरण

	वित्त वर्ष - 2022-2023								
	अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)								
क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	Deno	राशी GST सहित	टिप्पणी
1.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	123/ 04.01.2022	CARRIAGE OF CEMENT	₹ 21.00	20.00	Bags	₹ 420.00	दो स्थानीय अखबारों में विज्ञापन नहीं दिया गया
2.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	124/ 04.01.2022	AGG.	₹ 1,360.00	7.00	m^3	₹ 9,520.00	
3.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	125/ 04.01.2022	SAND	₹ 1,470.00	4.00	m^3	₹ 5,880.00	
4.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	126/ 04.01.2022	SHUTTERING	₹ 15.20	206.00	ft^2	₹ 3,131.20	
5.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	127/ 04.01.2022	CARRIAGE OF CEMENT	₹ 21.00	52.00	Bags	₹ 1,092.00	
6.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	128/ 04.01.2022	AGG.	₹ 1,360.00	19.00	m^3	₹ 25,840.00	
7.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	129/ 04.01.2022	SAND	₹ 1,470.00	10.00	m^3	₹ 14,700.00	
8.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	130/ 04.01.2022	SHUTTERING	₹ 15.20	516.00	ft^2	₹ 7,843.20	
9.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	116/ 03.01.2022	AGG.	₹ 1,360.00	57.00	m^3	₹ 77,520.00	
10.				SAND	₹ 1,470.00	30.00	m^3	₹ 44,100.00	
11.				SHUTTERING	₹ 15.20	1276.00	ft^2	₹ 19,395.20	
12.				STONE	₹ 780.00	23.00	m^3	₹ 17,940.00	
13.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	131/ 04.01.2022	AGG.	₹ 1,360.00	30.00	m^3	₹ 40,800.00	
14.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	132/ 04.01.2022	SAND	₹ 1,470.00	15.00	m^3	₹ 22,050.00	
15.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	133/ 04.01.2022	BOULDER	₹ 780.00	16.00	m^3	₹ 12,480.00	
16.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	134/ 04.01.2022	SHUTTERING	₹ 15.20	1792.00	ft^2	₹ 27,238.40	
17.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	135/ 04.01.2022	SAND	₹ 1,470.00	26.00	m^3	₹ 38,220.00	
18.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	136/ 04.01.2022	CARRIAGE OF CEMENT	₹ 21.00	98.00	Bags	₹ 2,058.00	
19.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	137/ 04.01.2022	AGG.	₹ 1,360.00	32.00	m^3	₹ 43,520.00	
20.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	138/ 04.01.2022	AGG.KHAD	₹ 790.00	84.00	m^3	₹ 66,360.00	
21.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	139/ 04.01.2022	COST OF ROAD ROLLER	₹ 5,000.00	1.00		₹ 5,000.00	
22.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	140/ 04.01.2022	MIXTURE MACHINE	₹ 330.00	15.00	DAYS	₹ 4,950.00	
23.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	141/ 04.01.2022	WATER TANK	₹ 610.00	10.00	DAYS	₹ 6,100.00	
24.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	122/ 10.03.2022	CARRIAGE OF CEMENT	₹ 21.00	57.00	Bags	₹ 1,197.00	
25.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	149/ 10.03.2022	SAND	₹ 1,470.00	17.00	m^3	₹ 24,990.00	
26.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	150/ 10.03.2022	AGG.	₹ 1,360.00	18.00	m^3	₹ 24,480.00	
27.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	151/ 10.03.2022	BOULDER	₹ 790.00	45.00	m^3	₹ 35,550.00	
28.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	152/ 10.03.2022	WATER TANK	₹ 650.00	6.00	DAYS	₹ 3,900.00	
29.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	144/ 22.01.2022	SAND	₹ 1,470.00	24.00	m^3	₹ 35,280.00	
30.				WATER TANK	₹ 610.00	2.00	DAYS	₹ 1,220.00	
31.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	145/ 22.01.2022	CARRIAGE OF CEMENT	₹ 21.00	60.00	ft^2	₹ 1,260.00	
32.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	146/ 22.01.2022	AGG.	₹ 1,360.00	9.00	m^3	₹ 12,240.00	
33.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	117/ 03.01.2022	CARRIAGE OF CEMENT	₹ 21.00	60.00	Bags	₹ 1,260.00	
34.				AGG.	₹ 1,360.00	10.00	m^3	₹ 13,600.00	
35.				SAND	₹ 1,470.00	7.00	m^3	₹ 10,290.00	
	अनुदान शीर्ष : 15वां वित्त आयोग (15TH FC)								
36.	Ankush Sharma	XVFC/20222-23/P/19 Dt 23.05.2022	176/ 02.04.2022	CARRIAGE OF CEMENT	₹ 21.00	28.00	Bags	₹ 588.00	
37.				AGG.	₹ 1,360.00	7.00	m^3	₹ 9,520.00	
38.				SAND	₹ 1,470.00	6.00	m^3	₹ 8,820.00	
39.				BOULDER	₹ 780.00	9.00	m^3	₹ 7,020.00	
40.	Ankush Sharma	XVFC/20222-23/P/20 Dt 23.05.2022	175/ 02.04.2022	AGG.	₹ 1,360.00	6.00	m^3	₹ 8,160.00	
41.				SAND	₹ 1,470.00	4.00	m^3	₹ 5,880.00	
42.				BOULDER	₹ 780.00	3.31	m^3	₹ 2,581.80	
43.				SHUTTERING	₹ 18.00	72.00	ft^2	₹ 1,296.00	
44.				WATER TANK	₹ 650.00	3.00	DAYS	₹ 1,950.00	
45.				BRICKS	₹ 7.00	1190.00	NO.	₹ 8,330.00	
46.				CARRIAGE OF CEMENT	₹ 21.00	37.00	Bags	₹ 777.00	
47.	BIR SINGH SANITARY & H/W STORE	XVFC/20222-23/P/21 Dt 23.05.2022	068/16.04.2022	TILES	₹ 250.00	24.00	NO.	₹ 6,000.00	तीन निविदायें प्रस्तुत नहीं की गई
48.				TILES	₹ 250.00	5.00	NO.	₹ 1,250.00	
				GST @ 18%				₹ 1,305.00	

It is certified that above mentioned data is true and as per records available at gram Panchayat Aghar.

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	Deno	राशी GST सहित	टिप्पणी
49.	M/S RK SHARMA AND BROTHERS	XVFC/20222-23/P/22 Dt 23.05.2022	2022-23/87 Dt 18.05.2022	10MM TMT BARS	₹ 67.80	119.00	KGS	₹ 8,068.20	तीन निविदायें प्रस्तुत नहीं की गई
50.				ELBOW	₹ 24.00	30.00	NO.	₹ 720.00	
51.				TEE	₹ 38.10	30.00	NO.	₹ 1,143.00	
52.				SOCKET	₹ 18.00	17.00	NO.	₹ 306.00	
				GST @ 18%				₹ 1,787.62	
53.	VP ENGINEERS	XVFC/20222-23/P/39 Dt 29.05.2022	089/ 27.04.2022	USHA WATER COOLER	₹ 25,000.00	1.00	NO.	₹ 25,000.00	तीन निविदायें प्रस्तुत नहीं की गई
	वित्त वर्ष - 2023-24								
	अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)								
54.	Ankush Sharma	NIL/ 20.06.2023	104/ 12.02.2023	SAND	₹ 1,110.00	39.00	m^3	₹ 43,290.00	दो स्थानीय अखबारों में विज्ञापन नहीं दिया गया
55.				AGG.10MM	₹ 1,280.00	1.00	m^3	₹ 1,280.00	
56.				AGG.20MM	₹ 1,276.00	14.00	m^3	₹ 17,864.00	
57.				AGG.40MM	₹ 1,069.00	35.00	m^3	₹ 37,415.00	
58.	Ankush Sharma	NIL/ 20.06.2023	105/ 12.02.2023	AGG.20MM	₹ 1,276.00	1.00	m^3	₹ 1,276.00	
59.				WATER TANK	₹ 500.00	3.00	DAYS	₹ 1,500.00	
60.	Ankush Sharma	NIL/ 23.06.2023	113/ 25.03.2023	SAND	₹ 1,111.00	18.00	m^3	₹ 19,998.00	
61.				AGG.20MM	₹ 1,276.00	6.00	m^3	₹ 7,656.00	
62.				AGG.40MM	₹ 1,069.00	16.00	m^3	₹ 17,104.00	
63.				BOULDER	₹ 766.00	14.00	m^3	₹ 10,724.00	
64.				WATER TANK	₹ 500.00	2.00	DAYS	₹ 1,000.00	
65.				MIXTURE MACHINE	₹ 350.00	10.00	DAYS	₹ 3,500.00	
	अनुदान शीर्ष : 15वां वित्त आयोग (15TH FC)								
66.	World Computer Zone	XVFC/20222-23/P/3 Dt 07.06.2023	3/ 18.04.2023	NET PROTECTOR ANTIVIRUS	₹ 940.00	1.00	NO.	₹ 940.00	तीन निविदायें प्रस्तुत नहीं की गई
67.				PRINTER REPAIR	₹ 2,655.00	1.00	NO.	₹ 2,655.00	
68.				LED 15.6 PAPER 30 PIN	₹ 4,149.00	1.00	NO.	₹ 4,149.00	
69.				TONER CARTRIDGE 88A	₹ 1,156.00	2.00	NO.	₹ 2,312.00	
70.	Ankush Sharma	XVFC/20222-23/P/8 Dt 19.06.2023	151/ 19.06.2023	SAND	₹ 1,870.00	12.00	m^3	₹ 22,440.00	दो स्थानीय अखबारों में विज्ञापन नहीं दिया गया
71.				AGG.	₹ 1,760.00	17.00	m^3	₹ 29,920.00	
72.				WATER TANK	₹ 725.00	3.00	DAYS	₹ 2,175.00	
73.				MIXTURE MACHINE	₹ 540.00	6.00	DAYS	₹ 3,240.00	
74.				CARRIAGE OF CEMENT	₹ 25.00	52.00	Bags	₹ 1,300.00	
							कुल जोड़	**₹ 9,93,665.62**	

It is certified that above mentioned data is true and as per records available at gram Panchayat Aghar

Technical Assistant
G.P.
Dev. Block Nurpur (Kangra) H.P.

पंचायत सचिव
ग्रा.प. आघार
वि.ख. नूरपुर (कांगड़ा) हि.प्र.

GRS Aghar

62

ग्राम पंचायत अघार द्वारा विभिन्न अनुदानों से क्रय की गई राशी ₹ 19.96 लाख की सामग्री का विवरण जिसका स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन नहीं किया गया है

	वित्त वर्ष - 2022-2023							
	अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)							
क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	Deno	राशी GST सहित
1.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	123/ 04.01.2022	CARRIAGE OF CEMENT	₹ 21.00	20.00	Bags	₹ 420.00
2.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	124/ 04.01.2022	AGG.	₹ 1,360.00	7.00	m^3	₹ 9,520.00
3.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	125/ 04.01.2022	SAND	₹ 1,470.00	4.00	m^3	₹ 5,880.00
4.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	126/ 04.01.2022	SHUTTERING	₹ 15.20	206.00	ft^2	₹ 3,131.20
5.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	127/ 04.01.2022	CARRIAGE OF CEMENT	₹ 21.00	52.00	Bags	₹ 1,092.00
6.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	128/ 04.01.2022	AGG.	₹ 1,360.00	19.00	m^3	₹ 25,840.00
7.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	129/ 04.01.2022	SAND	₹ 1,470.00	10.00	m^3	₹ 14,700.00
8.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	130/ 04.01.2022	SHUTTERING	₹ 15.20	516.00	ft^2	₹ 7,843.20
9.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	116/ 03.01.2022	AGG.	₹ 1,360.00	57.00	m^3	₹ 77,520.00
10.				SAND	₹ 1,470.00	30.00	m^3	₹ 44,100.00
11.				SHUTTERING	₹ 15.20	1276.00	ft^2	₹ 19,395.20
12.				STONE	₹ 780.00	23.00	m^3	₹ 17,940.00
13.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	131/ 04.01.2022	AGG.	₹ 1,360.00	30.00	m^3	₹ 40,800.00
14.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	132/ 04.01.2022	SAND	₹ 1,470.00	15.00	m^3	₹ 22,050.00
15.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	133/ 04.01.2022	BOULDER	₹ 780.00	16.00	m^3	₹ 12,480.00
16.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	134/ 04.01.2022	SHUTTERING	₹ 15.20	1792.00	ft^2	₹ 27,238.40
17.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	135/ 04.01.2022	SAND	₹ 1,470.00	26.00	m^3	₹ 38,220.00
18.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	136/ 04.01.2022	CARRIAGE OF CEMENT	₹ 21.00	98.00	Bags	₹ 2,058.00
19.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	137/ 04.01.2022	AGG.	₹ 1,360.00	32.00	m^3	₹ 43,520.00
20.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	138/ 04.01.2022	AGG.KHAD	₹ 790.00	84.00	m^3	₹ 66,360.00
21.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	139/ 04.01.2022	COST OF ROAD ROLLER	₹ 5,000.00	1.00		₹ 5,000.00
22.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	140/ 04.01.2022	MIXTURE MACHINE	₹ 330.00	15.00	DAYS	₹ 4,950.00
23.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	141/ 04.01.2022	WATER TANK	₹ 610.00	10.00	DAYS	₹ 6,100.00
24.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	122/ 10.03.2022	CARRIAGE OF CEMENT	₹ 21.00	57.00	Bags	₹ 1,197.00
25.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	149/ 10.03.2022	SAND	₹ 1,470.00	17.00	m^3	₹ 24,990.00
26.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	150/ 10.03.2022	AGG.	₹ 1,360.00	18.00	m^3	₹ 24,480.00
27.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	151/ 10.03.2022	BOULDER	₹ 790.00	45.00	m^3	₹ 35,550.00
28.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	152/ 10.03.2022	WATER TANK	₹ 650.00	6.00	DAYS	₹ 3,900.00
29.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	144/ 22.01.2022	SAND	₹ 1,470.00	24.00	m^3	₹ 35,280.00
30.				WATER TANK	₹ 610.00	2.00	DAYS	₹ 1,220.00
31.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	145/ 22.01.2022	CARRIAGE OF CEMENT	₹ 21.00	60.00	ft^2	₹ 1,260.00
32.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	146/ 22.01.2022	AGG.	₹ 1,360.00	9.00	m^3	₹ 12,240.00
33.	Ankush Sharma	NIL/ 17.05.2022	117/ 03.01.2022	CARRIAGE OF CEMENT	₹ 21.00	60.00	Bags	₹ 1,260.00
34.				AGG.	₹ 1,360.00	10.00	m^3	₹ 13,600.00
35.				SAND	₹ 1,470.00	7.00	m^3	₹ 10,290.00
36.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	NIL/ 21.05.2022	10476/ 15.12.2021	सीमेंट	₹ 351.35	59.00	Bags	₹ 20,729.65
37.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	NIL/ 21.05.2022	10473/ 15.12.2021	सीमेंट	₹ 351.35	122.00	Bags	₹ 42,864.70
38.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	NIL/ 21.05.2022	10477/ 15.12.2021	सीमेंट	₹ 351.35	66.00	Bags	₹ 23,189.10
39.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	NIL/ 17.05.2022	23017/ 17.01.2022	सीमेंट	₹ 351.35	216.00	Bags	₹ 75,891.60
40.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	NIL/ 17.05.2022	23019/ 17.01.2022	सीमेंट	₹ 351.35	26.00	Bags	₹ 9,135.10
41.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	NIL/ 17.05.2022	23020/ 17.01.2022	सीमेंट	₹ 351.35	50.00	Bags	₹ 17,567.50
42.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	NIL/ 21.05.2022	10475/ 15.12.2021	सीमेंट	₹ 351.35	220.00	Bags	₹ 77,297.00
43.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	NIL/ 17.05.2022	23018/ 17.01.2022	सीमेंट	₹ 351.35	220.00	Bags	₹ 77,297.00
44.	Sher Singh Interlock Tiles	NIL/ 17.05.2022	28/ 13.01.2022	INTERLOCK TILES	₹ 17.10	5148.00	NO.	₹ 88,030.80
45.	Sher Singh Interlock Tiles	NIL/ 17.05.2022	29/ 13.01.2022	INTERLOCK TILES	₹ 17.10	5148.00	NO.	₹ 88,030.80
46.	Sher Singh Interlock Tiles	NIL/ 17.05.2022	26/ 13.01.2022	INTERLOCK TILES	₹ 17.10	4811.00	NO.	₹ 82,268.10
47.	Sher Singh Interlock Tiles	NIL/ 17.05.2022	27/ 13.01.2022	INTERLOCK TILES	₹ 17.10	9275.00	NO.	₹ 1,58,602.50

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	Deno	राशी GST सहित
	अनुदान शीर्ष : 15वां वित्त आयोग (15TH FC)							
48.	Ankush Sharma	XVFC/20222-23/P/19 Dt 23.05.2022	176/ 02.04.2022	CARRIAGE OF CEMENT	₹21.00	28.00	Bags	₹588.00
49.				AGG.	₹1,360.00	7.00	m^3	₹9,520.00
50.				SAND	₹1,470.00	6.00	m^3	₹8,820.00
51.				BOULDER	₹780.00	9.00	m^3	₹7,020.00
52.	Ankush Sharma	XVFC/20222-23/P/20 Dt 23.05.2022	175/ 02.04.2022	AGG.	₹1,360.00	6.00	m^3	₹8,160.00
53.				SAND	₹1,470.00	4.00	m^3	₹5,880.00
54.				BOULDER	₹780.00	3.31	m^3	₹2,581.80
55.				SHUTTERING	₹18.00	72.00	ft^2	₹1,296.00
56.				WATER TANK	₹650.00	3.00	DAYS	₹1,950.00
57.				BRICKS	₹7.00	1190.00	NO.	₹8,330.00
58.				CARRIAGE OF CEMENT	₹21.00	37.00	Bags	₹777.00
59.	BIR SINGH SANITARY & H/W STORE	XVFC/20222-23/P/21 Dt 23.05.2022	068/16.04.2022	TILES	₹250.00	24.00	NO.	₹6,000.00
60.				TILES	₹250.00	5.00	NO.	₹1,250.00
				GST @ 18%				₹1,305.00
61.	M/S RK SHARMA AND BROTHERS	XVFC/20222-23/P/22 Dt 23.05.2022	2022-23/87 Dt 18.05.2022	10MM TMT BARS	₹67.80	119.00	KGS	₹8,068.20
62.				ELBOW	₹24.00	30.00	NO.	₹720.00
63.				TEE	₹38.10	30.00	NO.	₹1,143.00
64.				SOCKET	₹18.00	17.00	NO.	₹306.00
				GST @ 18%				₹1,787.62
65.	VP ENGINEERS	XVFC/20222-23/P/39 Dt 29.05.2022	089/ 27.04.2022	USHA WATER COOLER	₹25,000.00	1.00	NO.	₹25,000.00
	वित्त वर्ष - 2023-24							
	अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)							
66.	Ankush Sharma	NIL/ 20.06.2023	104/ 12.02.2023	SAND	₹1,110.00	39.00	m^3	₹43,290.00
67.				AGG.10MM	₹1,280.00	1.00	m^3	₹1,280.00
68.				AGG.20MM	₹1,276.00	14.00	m^3	₹17,864.00
69.				AGG.40MM	₹1,069.00	35.00	m^3	₹37,415.00
70.	Ankush Sharma	NIL/ 20.06.2023	105/ 12.02.2023	AGG.20MM	₹1,276.00	1.00	m^3	₹1,276.00
71.				WATER TANK	₹500.00	3.00	DAYS	₹1,500.00
72.	Ankush Sharma	NIL/ 23.06.2023	113/ 25.03.2023	SAND	₹1,111.00	18.00	m^3	₹19,998.00
73.				AGG.20MM	₹1,276.00	6.00	m^3	₹7,656.00
74.				AGG.40MM	₹1,069.00	16.00	m^3	₹17,104.00
75.				BOULDER	₹766.00	14.00	m^3	₹10,724.00
76.				WATER TANK	₹500.00	2.00	DAYS	₹1,000.00
77.				MIXTURE MACHINE	₹350.00	10.00	DAYS	₹3,500.00
	अनुदान शीर्ष : 15वां वित्त आयोग (15TH FC)							
78.	World Computer Zone	XVFC/20222-23/P/3 Dt 07.06.2023	3/ 18.04.2023	NET PROTECTOR ANTIVIRUS	₹940.00	1.00	NO.	₹940.00
79.				PRINTER REPAIR	₹2,655.00	1.00	NO.	₹2,655.00
80.				LED 15.6 PAPER 30 PIN	₹4,149.00	1.00	NO.	₹4,149.00
81.				TONER CARTRIDGE 88A	₹1,156.00	2.00	NO.	₹2,312.00
82.	Ankush Sharma	XVFC/20222-23/P/8 Dt 19.06.2023	151/ 19.06.2023	SAND	₹1,870.00	12.00	m^3	₹22,440.00
83.				AGG.	₹1,760.00	17.00	m^3	₹29,920.00
84.				WATER TANK	₹725.00	3.00	DAYS	₹2,175.00
85.				MIXTURE MACHINE	₹540.00	6.00	DAYS	₹3,240.00
86.				CARRIAGE OF CEMENT	₹25.00	52.00	Bags	₹1,300.00
87.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	XVFC/20222-23/P/4 Dt 09.06.2023	10441/ 07.06.2023	सीमेंट	₹407.00	36.00		₹14,652.00
88.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	XVFC/20222-23/P/5 Dt 09.06.2023	10440/ 07.06.2023	सीमेंट	₹407.00	52.00		₹21,164.00
89.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	XVFC/20222-23/P/6 Dt 09.06.2023	10438/ 07.06.2023	सीमेंट	₹407.00	85.00		₹34,595.00

54

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	Deno	राशी GST सहित
90.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	XVFC/20222-23/P/9 Dt 30.06.2023	10476/ 30.06.2023	सीमेंट	₹ 407.00	7.00		₹ 2,849.00
91.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	XVFC/20222-23/P/10 Dt 30.06.2023	10475/ 30.06.2023	सीमेंट	₹ 407.00	30.00		₹ 12,210.00
92.	Jai Dev Tiles	XVFC/20222-23/P/7 Dt 19.06.2023	081/ 19.06.2023	80MM TILES	₹ 17.60	2533.00	NO.	₹ 44,580.80
93.			080/ 19.06.2023	80MM TILES	₹ 17.60	2100.00	NO.	₹ 36,960.00
94.	Jai Dev Tiles	XVFC/20222-23/P/9 Dt 30.06.2023	080/ 19.06.2023	60MM TILES	₹ 16.70	900.00	NO.	₹ 15,030.00
95.	Jai Dev Tiles	XVFC/20222-23/P/10 Dt 30.06.2023	072/ 30.06.2023	60MM TILES	₹ 16.70	1770.00	NO.	₹ 29,559.00
96.			073/ 30.06.2023	60MM TILES	₹ 16.70	1780.00	NO.	₹ 29,726.00
							कुल जोड़	₹ 19,95,895.27

It is certified that above mentioned data is true and as per records available at gram Panchayat Aghar.

Technical Assistant
G.P. ______
Dev. Block Nurpur (Kangra) H.P.

Yashpal

GRS Aghar

Reeti
पंचायत सचिव
ग्रा.प. आधार
वि.ख. नरपुर (कांगड़ा) हि.प्र.

55

(परिशिष्ट " ठ " पैरा संख्या " 8.9 " में संदर्भ में)

ग्राम पंचायत अघार द्वारा 15वां वित्त आयोग के अंतर्गत स्वीकृत राशि ₹ 7.92 लाख के निर्माण कार्यों से संबंधित अभिलेख (माप पुस्तिका, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, उपयोगिता प्रमाण पत्र और अनुभागी / संकर्म व सतर्कता कमेटी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध) अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का विवरण

क्र०सं०	कार्य का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशी	चयनित माह में भुगतान की गई राशि	कार्य की स्थिति
1.	C/O Path OBC Road Sukhdev Satish House Ward No2	2021-22	₹ 1,12,198.00	₹ 17,879.00	पूर्ण
2.	R/O Path Chowk to Janak Etc ke ghar tak Kehrna	2021-22	₹ 1,80,000.00	₹ 1,61,779.00	पूर्ण
3.	C/O & R/O of well near house Ichcha Devi Mandeep Etc	2022-23	₹ 1,00,000.00	₹ 14,652.00	पूर्ण
4.	C/o Water Tank near shamshaan Ghaat	2022-23	₹ 1,00,000.00	₹ 28,974.00	पूर्ण
5.	C/O Path near Muslim Basti Bittu Firoj House	2022-23	₹ 1,00,000.00	₹ 31,823.00	पूर्ण
6.	C/o Water Tank and other works near Tiala Ward No 7	2021-22	₹ 1,00,000.00	₹ 37,404.00	पूर्ण
7.	C/o Raasta sadak to Balkaar Praveen House Ward No 2	2021-22	₹ 1,00,000.00	₹ 17,860.00	पूर्ण
		कुल जोड़	₹ 7,92,198.00	₹ 3,10,371.00	

It is certified that above mentioned data is true and as per records available at gram Panchayat Aghar.

Technical Assistant
G.P. ____
Dev Block ... (Kangra) H.P.

पंचायत सचिव
ग्रा.प. अघार
वि.ख. नगरूर (कांगड़ा) हि.प्र.

56

(परिशिष्ट " 9.1 " पैरा संख्या " ड " में संदर्भ में)

ग्राम पंचायत अघार द्वारा मनरेगा अनुदानों के अंतर्गत चयनित माह में व्यय राशि ₹ 8.97 लाख के निर्माण कार्यों से संबंधित अभिलेख (माप पुस्तिका, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, उपयोगिता प्रमाण पत्र और अनुभागी / संकर्म व सतर्कता कमेटी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध) अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का विवरण

क्र० सं०	कार्य का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशी	MIS अनुसार कुल भुगतान की गई राशि	वा०सं०/ दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	मस्टर रोल सं०/ दिनांक	चयनित माह में भुगतान की गई राशि	एम० बी० सं० / पृ० सं०	कार्य की स्थिति
1	C/O JEEPABLE ROAD/NALI PEER BABA KE MANDIR SE MAHINDER,RAVINDER ETC HOUSE TAK (1304011496/RC/8000107270)	202-21	₹ 4,97,977.00	₹ 3,79,858.44	NIL/ 17.05.2022	135/ 04.01.2022	....	₹ 38,220.00	Not Produced	पूर्ण
					NIL/ 17.05.2022	136/ 04.01.2022	....	₹ 2,058.00		
					NIL/ 17.05.2022	137/ 04.01.2022	....	₹ 43,520.00		
					NIL/ 17.05.2022	138/ 04.01.2022	....	₹ 66,360.00		
					NIL/ 17.05.2022	139/ 04.01.2022	....	₹ 5,000.00		
					NIL/ 17.05.2022	140/ 04.01.2022	....	₹ 4,950.00		
					NIL/ 17.05.2022	141/ 04.01.2022	....	₹ 6,100.00		
2	C/O JEEPABLE ROAD RUPESH KE KHET SE LEKAR RAN SINGH KE GHAR TAK (1304011496/RC/8000107273)	202-21	₹ 4,82,017.00	₹ 3,55,028.47	NIL/ 17.05.2022	144/ 22.01.2022	....	₹ 36,500.00	Not Produced	पूर्ण
					NIL/ 17.05.2022	145/ 22.01.2022	....	₹ 1,260.00		
					NIL/ 17.05.2022	146/ 22.01.2022	....	₹ 12,240.00		
3	C/O JEEPABLE ROAD SADAK SE DALEEP,MADAN KE GHAR TAK GP AGHAR (1304011496/RC/8000131606)	2021-22	₹ 4,85,234.00	₹ 4,19,326.25	NIL/ 20.06.2023	104/ 12.02.2023	....	₹ 99,849.00	Not Produced	पूर्ण
					NIL/ 20.06.2023	105/ 12.02.2023	....	₹ 2,776.00		
4	C/O JEEPABLE ROAD/NALI SADAK SE SURINDER,TILAK RAJ,SATPAL SHARMA KE GHAR TAK (1304011496/RC/8000107271)	202-21	₹ 4,93,489.00	₹ 4,54,550.50	NIL/ 20.05.2022	....	1005	₹ 10,600.00	Not Produced	पूर्ण
					NIL/ 20.05.2022	....	1006	₹ 4,240.00		
5	C/O KUHAL/NALI SC VASTI W.N. 2 GP AGHAR (1304011496/IC/8000042923)	2021-22	₹ 2,46,433.00	₹ 1,62,606.70	NIL/ 21.05.2022	10473/ 15.12.2021	....	₹ 42,864.70	Not Produced	पूर्ण
6	C/O NIKASI NALA VIKRAM SINGH KE KHET SE MAIN NALLA TAK (1304011496/IC/32058393)	2019-20	₹ 2,97,714.00	₹ 2,91,170.20	NIL/ 17.05.2022	116/ 03.01.2022	....	₹ 1,58,955.20	Not Produced	पूर्ण
7	C/O NALI DILBAG,KEWAL,,MUNNA KI JAMIN KE PASS (1304011496/LD/32082824)	2021-22	₹ 2,01,159.00	₹ 1,82,906.84	NIL/ 17.05.2022	131/ 04.01.2022	....	₹ 40,800.00	Not Produced	पूर्ण
					NIL/ 17.05.2022	132/ 04.01.2022	....	₹ 22,050.00		
					NIL/ 17.05.2022	133/ 04.01.2022	....	₹ 12,480.00		
					NIL/ 17.05.2022	134/ 04.01.2022	....	₹ 27,238.40		
8	C/0 JEEPABLE ROAD PARMODH KE GHAR SE BABU RAM KE GHAR TAK GP AGHAR (1304011496/RC/8000131609)	2021-22	₹ 2,86,921.00	₹ 2,77,899.70	NIL/ 21.05.2022	10477/ 15.12.2021	....	₹ 23,189.10	Not Produced	पूर्ण
					NIL/ 17.05.2022	28/ 13.01.2022	....	₹ 88,030.80		
					NIL/ 17.05.2022	29/ 13.01.2022	....	₹ 88,030.80		
9	C/o jeepable road shiv mandir talab se brahmna mohalla (1304011496/RC/8000153174)	2021-22	₹ 2,99,353.00	₹ 2,58,789.00	NIL/ 23.06.2023	113/ 25.03.2023	....	₹ 59,982.00	Not Produced	पूर्ण
	कुल जोड़		₹ 14,65,228.00	₹ 11,54,213.16				₹ 8,97,294.00		

It is certified that above mentioned data is true and as per records available at gram Panchayat Aghar.

yashpal
GRS Aghar

Technical Assistant
G.P. Aghar
Dev. Block Nurpur (Kangra) H.P.

पंचायत सचिव
ग्रा.प. आधार
वि.ख. नूरपुर (कांगड़ा) हि.प

57

ग्राम पंचायत अघार द्वारा मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित कार्यों के लिए जारी निर्देशों की उल्लंघना करते हुये मजदूरी तथा गैर मजदूरी घटक पर निर्धारित 60:40 अनुपात को सुनिश्चित न करने के कारण सामग्री खरीद पर राशि ₹ 0.21 लाख के अतिरिक्त/ अनियमित भुगतान का विवरण

क्र० सं०	कार्य का नाम	वर्क कोड	MIS अनुसार कुल व्यय राशि	MIS अनुसार सामग्री पर कुल व्यय	सामग्री पर व्यय योग्य राशी (कुल व्यय का 40%)	सामग्री पर अतिरिक्त व्यय की गई राशि (60:40 अनुपात)
1.	C/O WATER CONSERVATION TANK RAGUNANDAN SINGH S/O PURAN CHAND	(1304011496/WC/ 32094580)	₹ 74,618.80	₹ 50,669.80	₹ 29,847.52	₹ 20,822.28
		कुल जोड़	**₹ 74,618.80**	**₹ 50,669.80**	**₹ 29,847.52**	**₹ 20,822.28**

It is certified that above mentioned data is true and as per records available at gram Panchayat Aghar.

Yashpal
GRS Aghar

Technical Assistant
G.P. Aghar
Dev. Block Nurpur (Kangra) H.P.

Reeti
पंचायत सचिव
ग्रा.प. अघार
वि.ख. नूरपुर (कांगड़ा) हि.प्र.

58

परिशिष्ट " ण ", पैरा संख्या " 9.3 व 9.4 " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत अघार द्वारा मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्यों से संबंधित राशि ₹2.40 लाख के मस्टर रोलों का जारी करने के रजिस्टर में अपूर्ण प्रविष्टियाँ पाई जाना , मस्टर रोल का निर्माण एवं सतर्कता कमेटी द्वारा सत्यापन न करना और बिना संयुक्त अदायगी आदेश के मस्टर रोल का भुगतान करना

क्र० सं०	कार्य का नाम	मस्टर रोल संख्या	वा० सं० / दिनांक	भुगतान की गई राशि
1	Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. HP121355767 (1304011496/IF/IAY/23268)	1009	Nil/ 19.05.2022	₹ 4,664.00
2	C/o land laveling parkash singh etc (1304011496/LD/8000064567)	393	Nil/ 06.05.2022	₹ 23,744.00
3		4417	Nil/ 19.05.2022	₹ 17,226.00
4	C/o land laveling gagan jeet singh etc land (1304011496/LD/8000067836)	396	Nil/ 06.05.2022	₹ 25,016.00
5		397	Nil/ 06.05.2022	₹ 7,208.00
6		1003	Nil/ 19.05.2022	₹ 7,420.00
7		1004	Nil/ 19.05.2022	₹ 2,332.00
8	C/o land laveling vikram sunil suman etc land(1304011496/LD/8000064569)	394	Nil/ 06.05.2022	₹ 17,384.00
9		394	Nil/ 19.05.2022	₹ 2,968.00
10		395	Nil/ 06.05.2022	₹ 2,756.00
11		1001	Nil/ 19.05.2022	₹ 17,596.00
12		1002	Nil/ 19.05.2022	₹ 3,604.00
13	C/O JEEPABLE ROAD/NALI SADAK SE SURINDER,TILAK RAJ,SATPAL SHARMA KE GHAR TAK(1304011496/RC/8000107271)	1005	Nil/ 20.05.2022	₹ 10,600.00
14		1006	Nil/ 20.05.2022	₹ 4,240.00
15	C/O BHUMI SANRAKSHAN V BHUMI SUDHAR KARYA NATHO RAM, BHUTTO ETC LAND(1304011496/LD/32091256)	1467	Nil/ 19.06.2023	₹ 12,336.00
16		1468	Nil/ 19.06.2023	₹ 12,754.00
17		1469	Nil/ 19.06.2023	₹ 3,555.00
18	C/o pond harijan pukhar (1304011496/WC/8000121545)	1470	Nil/ 19.06.2023	₹ 16,518.00
19		1471	Nil/ 19.06.2023	₹ 15,889.00
20		1472	Nil/ 19.06.2023	₹ 12,964.00
21		1473	Nil/ 19.06.2023	₹ 3,763.00
22	C/o apbardhan pond tund (1304011496/WC/8000121546)	1478	Nil/ 19.06.2023	₹ 2,509.00
23		1479	Nil/ 19.06.2023	₹ 2,091.00
24		1480	Nil/ 19.06.2023	₹ 4,181.00
25		1481	Nil/ 19.06.2023	₹ 6,691.00
			कुल जोड़	₹ 2,40,009.00

It is certified that above mentioned data is true and as per records available at Gram Panchayat Aghaar.

Yashpal
GRS Aghar

Technical Assistant
G.P. Aghar
Dev. Block ... Kangra H.P.

पंचायत सचिव
ग्रा.प. आघार
वि.ख. नरपुर (कांगड़ा) हि.प्र.

कार्यालय ग्राम पंचायत अघार, वि०ख० नूरपुर, ज़िला काँगड़ा, हि०प्र० 176051

(क) आवेदनकर्ताओं से राशि ₹0.01 लाख विवाह पंजीकरण शुल्क वसूली एवं राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु शेष का विवरण :-

क्र० सं०	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	कम वसूली गई राशि
1	सचिन शर्मा	18-02-2023	27-03-2023	₹ 400.00	₹ 200.00	₹ 200.00
2	रियाज़	24-09-2023	29-09-2023	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
3	सुलखन सिंह	31-01-2024	21-02-2024	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
4	अतुल शर्मा	18-02-2024	27-02-2024	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
5	रविन्द्र कुमार	20-01-2024	27-02-2024	₹ 400.00	₹ 200.00	₹ 200.00
			कुल योग	**₹ 1,400.00**	**₹ 400.00**	**₹ 1,000.00**

(ख) आवेदनकर्ताओं से वसूली गई विवाह पंजीकरण शुल्क राशि ₹0.05 लाख को राजकीय कोष में जमा न करवाने का विवरण:-

1	वित्त वर्ष 2022-23 में वसूली गई विवाह पंजीकरण शुल्क की कुल राशि	₹ 2,600.00
2	वित्त वर्ष 2023-24 में वसूली गई विवाह पंजीकरण शुल्क की कुल राशि	₹ 2,800.00
	कुल योग	**₹ 5,400.00**

Reeti
पंचायत सचिव
ग्रा.प. अघार
वि.ख. नूरपुर (कांगड़ा) हि.प्र.

(60)